0k"k % 41(vad % 3 (ekpZ % 2019(eY; % n l #Ik,

सीटू मजदूर

नीमराना में संघर्ष

(रिपोर्ट पृ. 5)

5 फरवरी – एस.डी.एम. कार्यालय के सामने

17 फरवरी – जुलूस और रैली

20 फरवरी – अलवर में डीएम के समक्ष प्रदर्शन

27 फरवरी

अलवर में अनिश्चितकालीन धरना

संसद पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों की रैली

(रिपोर्ट पृ. 16)

संसद पर मिड डे मील मजदूरों की रैली

(रिपोर्ट पृ. 15)

संसद पर रेलवे लोको रनिंग स्टाफ रैली

(रिपोर्ट पृ. 16)

सीटू मजदूर

lhvkbZVh; dk e[ki=

मार्च 2019

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

के हेमलता

कार्यकारी सम्पादक

जे एस मजुमदार

सदस्य

तपन सेन,

एम एल मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस.राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

vf/kdkjk dh cgkyh d fy, mRihfM r etnjk dk l?k"k	5
vrjk"Vh; efgyk fnol	7
m|kx o {k=	9
jkT;k l	20
etnj&fdlku ,drk	21
vrjk"Vh;	23
miHkkDrk eY; lpdkd	26

सम्पादकीय

यह मुमकिन है

ekn dh vxvkb okyh Hkktik ljdkj u lÙkk e vkr gh tkjnkj /ke/kMkd d lkFk & lkj 44 ekt nk Je dkuuk dk gVkdj mudh txg 4 ycj dkM yku d & ftl cM uomnkj vtM dh ?kk"k.kk dh Fkh] mue l ,d Hkh l ln e j[kk x;k vkj ugh j[kk x;kA vlxfBr {k= d etnjk dh lkekftd lj{kk & Hky lkj e dN FkkFkh gh lgh & dk dæh; ctV e t:j txg fey x;hA Ldhe od l d ekun; c<ku dh ?kk"k.kk ç/kkue=h dk djuh iMh vkj etnjk dk U;ure oru jktuhfrd foe'k e vk;kA

blh rjg] n'k Hkj e meMh t>k: fdlku vknkyuk dh ygj d lkeu >ddj ekn ljdkj dk Hkfe vf/kxg.k v/;kn'k dk okil yuk iMk A Hky t:jr d erkfcd u gk] exj fdlkuk dh dtefä vkj U;ure leFku eY; dh ekxk ij dæ vkj jkT; ljdkjk dk dN u dN djuk gh iMk gA

gMrkyk lfgr etnjk d l;ä vknkyu(Hkktik jkt e etnjk vkj fdlkuk dh lk>h yMkb;k ,l vud uomnkj geyk d lQy çfrjk/k vkj mUg ihN /kdyu e dke;kc g, gA

VM ;fu;u vknkyu ekn ljdkj }kjk QDVh ,DV] vçfVl ,DV] vk|kfxd fu;ktu ¼LVfMx v,Ml½ tl ekt nk fu;e dkuuk e dkjikjV vkj ekfyd ijLr l'kk/kuk dk yku d f[kykQ Hkh yM jgk gA bu l'kk/kuk dk ykdj ekn ljdkj vUrjk"Vh; foÙkh; i th vkj fon'kh dkikjV l dk uomnkjokn fn'kk e ^^Je l/kkjk** dh viuh rRijrk dk lUn'k nuk pkgrh gA

bu lcdk etnjk d jktxkj] lj{kk vkj dk;n'kkvk ij cgn çfrdy çHkko iMxkA etnjk dh l[;k vkj vkojVkbe d vk/kkj e ifjorlu l 70% m|kx QDVh ,DV dh ifjf/k l ckgj gk tk,x(LFkk;h vkj Bdk etnjk dh txg çf'k{k & vçfVl & etnj vk tk,x(lHkh {k=k e LFkk;h jktxkj dk [kRe dj ^^fQDLM Ve ,Ely,;eV** ykx dj fn;k tk,xkA jktLFkku] gfj;k.kk] e/;çn'k vkj egkjk"V dh Hkktik jkT; ljdkj Je dkuuk e bl çdkj d dN l'kk/ku yk Hkh pdh gA dkj[kkuk cnh d ekeyk e etnjk dh l[;k d igy d vk/kkj dk cny pdh gA

etnj vknkyu flQ j{kkRed yMkb;k e gh viuh 'kfä dfær ugh fd;k g, g og etnjk dh 12 l=h ekxk dk ydj Hkh l?k"k dk vkx c<k jgk gA

vc odr vk x;k g tc etnj fojk/kh vkj tufojk/kh Hkktik jkt d [kkRe d y{; d lkFk bu eík dk ydj etnjk vkj vke turk d chp vfHk;ku rt fd;k tk,(etnjk] fdlkuk vkj vke tuk d eík dk vke pukok d igy vkj ckn e jktuhfrd foe'k d dæ e yk;k tk;(foHkktudkjh vkj /;ku cVkÅ jktuhfrd foe'k dk gkoh gku l jkdk tk;A odfYid jktuhfr d fy, nckc dk uhp l mHkkjk tk; & lÙkkoxk }kjk Åij l viu jktuhfrd foe'k dk Fkkiu dh dkf'k'k foQy dh tk,A

28 Qjojh] 2019

सीटू सचिव मंडल के कुछ प्रमुख फैसले

- 6–7 फरवरी 2019 को नई दिल्ली के बीटीआर भवन में आयोजित सीटू सचिवमंडल की विस्तारित बैठक जिसमें सभी राज्यों के महासचिवों सहित केंद्र और सभी राज्यों के 44 साथी शामिल हुए, ने देश के मजदूर वर्ग को 8–9 जनवरी 2019 को देशव्यापी संयुक्त आम हड़ताल के लिए बधाई दी, और मेहनतकश तबकों के सभी वर्गों को बड़े पैमाने पर समर्थन और हड़ताल के साथ एकजुटता की कार्रवाई करने के लिए धन्यवाद दिया।
- सचिवमंडल ने फैसला किया कि आम हड़ताल के दौरान लोगों के बीच दिखाई पड़े भारी असंतोष को मुकम्मल तौर पर, संसद के चुनाव में मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को हराने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ समेकित किया जाना चाहिए। यह मजदूर विरोधी नवउदारवादी नीतियों को पराजित करने के संघर्ष को तेज करने के प्रयासों का हिस्सा है; तथा

- इस अभियान को तुरंत शुरु किया जाए; तथा
- जल्द ही संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच द्वारा एक 'वर्कर्स चार्टर' अपनाया जाएगा, जिसे व्यापक रूप से जनता के सभी तबकों के बीच प्रचारित किया जाना चाहिए ताकि चुनाव के दौरान जनता के मुद्दे राजनीतिक संवाद में बने रहें और इस संवाद को गैर–मुद्दों की ओर ले जाने के सभी प्रयासों को नाकाम किया जा सके।
- सीटू का 16वाँ सम्मेलन जनवरी 2020 के अंत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा।
- 2018 की सदस्यता के आधार पर 16वाँ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा;
- सभी यूनियनों को वार्षिक शुल्क की प्रतियों के साथ रु० 2 प्रति सदस्य के सदस्यता शुल्क के साथ 2018 की सीटू से संबद्धता को नवीनीकृत करना होगा; 'द वर्किंग क्लास'/'सीटू मजदूर' की वार्शिक सदस्यता के साथ ही 'द वॉयस ऑफ द वर्किंग वुमन'/'कामकाजी महिला' की वार्शिक सदस्यता के साथ–साथ संबंधित राज्य समितियों द्वारा सीटू संविधान के अनुसार 30 जून 2019 को सीटू केंद्र को भेजी जाएगी;
- सभी राज्य समितियों को स्पष्ट होना चाहिए, यदि कोई हो, तो डिफाल्टिंग यूनियनों के 2017 तक के वार्षिक रिटर्न की प्रतियों के साथ बकाया संबद्धता का 31 मार्च 2019 के भीतर जमा कराना है।

- सीटू के सभी राज्य सम्मेलन अक्टूबर 2019 के अंत तक पूरे होने चाहिए। जिला सम्मेलन, जहाँ भी लागू हो (कोझिकोड जनरल कौंसिल की बैठक में संशोधित सीटू प्रावधान के अनुसार), राज्य सम्मेलन से पहले होने चाहिए। सीटू की राज्य कमेटियाँ यह सुनिश्चित करें कि सीटू की सभी संबद्ध यूनियनें अपने–अपने संविधान के अनुसार अपना सम्मेलन करें। सीटू फैडरेशनों, जिनके सम्मेलन होने वाले हैं, उन्हें भी अपने सम्मेलन पूरे करने चाहिए।
- कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों की बदली हुई संरचना के मद्देनजर, राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर पर कामकाजी महिलाओं के सम्मेलन संबंधित सीटू अधिवेशनों/सम्मेलनों के बाद होने चाहिए।
- सीटू का पी. राममूर्ति शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र उपयोग के लिए तैयार है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए, औद्योगिक फैडरेशन और मुख्य रुप से पड़ौसी राज्यों की राज्य कमेटियों को संसदीय चुनावों के तुरन्त बाद के लिए निरंतर क्लासों के आयोजन की योजना बनानी चाहिए।
- केवल केरल और महाराष्ट्र को छोड़कर सभी राज्य कमेटियों ने पी.आर. भवन फंड का अपना कोटा पूरा नहीं किया है। किसी भी हालत में 16वें सम्मेलन से पहले उन्हें यह बकाया जल्द से जल्द जमा कराना चाहिए।

नवउदारवादी नीति के विकल्प के लिए मजदूरों का घोषणापत्र

10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एकजुट मंच ने संयुक्त रूप से मजदूरों और देश की जनता के ज्वलंत मुद्दों पर मजदूरों का घोषणापत्र तैयार किया है; यह नवउदारवादी नीति को उलटने और जन–समर्थक वैकल्पिक नीति अपनाने की माँग करता है। 5 मार्च को नई दिल्ली के कन्स्टीटयूशन क्लब में आयोजित होने वाले नेशनल कन्वेंशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स में पारित करने के लिए मजदूरों के घोषणापत्र को रखा जाएगा।

मजदूरों के घोषणापत्र को सभी राजनीतिक दलों के समक्ष, अगले संसदीय चुनाव के अपने संबंधित चुनाव घोषणापत्र में शामिल करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

मजदूरों का घोषणापत्र, भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए आगामी चुनावी लड़ाई में, ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा व्यापक अभियान के लिए भी है।

भारत में विशेष 'जापानी क्षेत्र' व दक्षिण कोरियाइ क्षेत्र'

etnjk d vf/kdkj] fojk/k d vf/kdkj o ukxfjd Lor=rk ifrcf/kr

अधिकारों की बहाली के लिए उत्पीड़ित मजदूरों का संघर्ष

जे. एस. मजुमदार

8–9 जनवरी, 2019 की मजदूरों की दो दिवसीय देशव्यापी आम हड़ताल के पहले ही दिन; काँग्रेस सरकार की पुलिस ने राजस्थान के अलवर जिले के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में तथाकथित 'जापानी क्षेत्र' में स्थित जापानी कम्पनी डायकिन एअरकन्डीशनिंग प्राइवेट लि० के सामने शन्तिपूर्ण तरीके से जमा मजदूरों पर लाठी चार्ज किया, आँसू गैस छोड़ी और फायरिंग की। पुलिस कार्रवाई में कई मतदूरों को चोटें आईं। पुलिस ने मजदूरों पर झूठे मुकदमें कायम किये, उन्हें गिरफ्तार किया। 18 मजदूर अभी भी जेल में हैं।

नीमराना में 'जापानी क्षेत्र' व 'दक्षिण कोरियाइ क्षेत्र' नाम के दो विशेष इलाके हैं जो विशेषतौर पर इन दो देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए हैं।इन क्षेत्रों को अलग से दिखाने के लिए राजस्थान सरकार ने यहाँ 'जापानी जोन' व 'दक्षिण कोरियाइ जोन' के बोर्ड लगाये हैं। ये इलाके राजस्थान पुलिस की मदद से इन विदेशी कॉरपोरेटों के 'कब्जे वाले इलाकों' के रुप में काम करते हैं। नागरिक प्रशासन का अस्तित्व यहाँ मुश्किल से ही है। पुलिस ही सारे इलाके को नियंत्रित करती है। नीमराना में न तो कोई श्रम अधिकारी है न ही कोई श्रम कार्यालय। श्रम अधिकारी यहाँ से 72 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय अलवर में बैठते हैं।

डायकिन के मौजूदा विवाद में 8–9 जनवरी की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के बाद, 426 स्थायी व 425 ठेका मजदूरों को कंपनी ने 10 फरवरी को काम पर नहीं लगने दिया; पुलिस यूनियन नेताओं को गिरफ्तार कर मामले के समाधान के लिए प्रबंधन के साथ चर्चा करेन के लिए थाने ले गई जहाँ प्राकृतिक न्याय व कायदों को ताक पर रखकर यूनियन नेताओं को, 370 स्थायी मजदूरों को छोड़कर शेष के उत्पीड़न को स्वीकार करने को कहा गया। यूनियन अपनी 7 जनवरी की यथा स्थिति पर कायम है। देशव्यापी हड़ताल में शामिल होने के कारण डायकिन ने 851 मजदूरों को इस दिन तक रोजगार से बाहर किया हुआ है। नीमराना में 'जापानी क्षेत्र' में औद्योगिक संबन्धों का यह एक उदाहरण है।

राजस्थान में वसुन्धरा राजे की भाजपा सरकार हो या अशोक गहलोत की काँग्रेस सरकार, दोनों ही यह सुनिश्चित करती हैं कि सामान्य ट्रेड यूनियन अधिकार प्रतिबन्धित हों, मजदूर जमा न होने पायें, वे विरोध करने के हक से वंचित हों और नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश हो। यहाँ तक कि सीटू महासिचव तपन सेन, ई. करीम सांसद (राज्य सभा), शंकर दत्ता सांसद (लोक सभा) व अन्य के नेतृत्व में 5 फरवरी को बई जाँच टीम को भी कानून व व्यवस्था (!) के नाम पर पुलिस ने बेरीकेड लगाकर रोका। उनके साथ गई सीटू, एटक व एच.एम.एस. के राज्य नेताओं की टीम को तो 'जापानी क्षेत्र' में घुसने की मंजूरी ही नहीं दी गई।

नीमराना में मजदूरों ने जब भी यूनियन बनाने या प्रबंधन की अन्यायपूर्ण कार्रवाहियों के खिलाफ विरोध करने कोशिशें की हैं, इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रबंधकों ने मजदूरों को उनके समूचे नेतृत्व समेत सीधे बर्खास्त किया है। ये कंपनियां बाहुबलियों को अपने सुरक्षा दस्ते में रखती हैं। वे मजदूरों को आतंकित रखते हैं और अक्सर उन्हें पीट देते हैं। 8 जनवरी की हड़ताल के पहले दिन इन पहलवान गुन्डों ने, पुलिस के साथ मिल कंपनी के बाहर भी मजदूरों पर हमला किया था। सीटू व यूनियन की माँग रही है कि कंपनी के बाहर मजदूरों के साथ मारपीट करने वाले इन अपराधियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जाये।

ऐसा बताया गया है कि जापानी राजदूत ने राजनयिक प्रोटोकॉल को तोड़, कंपनी का पक्ष लेते हुए मुख्यमंत्री को फोन किया और भारत के अंदरुनी मामले में हस्तक्षेप किया।

डायकिन मजदूरों के खिलाफ 8 जनवरी को की गई पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जाँच, सभी उत्पीड़ित मजदूरों की बहाली और उनके विरुद्ध बनाये गये झूठे मामलों को वापिस लिए जाने की माँग करते हुए सीटू के प्रतिनिधिमंडल ने सी.पी.आई.(एम) व किसान आंदोलन

के नेता अमरा राम के साथ जिले के कलक्टर व एस पी से मुलाकात की; प्रतिनिधिमंडल श्रममंत्री व मुख्यमंत्री से भी मिला। लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं मिला। इसके उलट, मजदूरों पर पुलिस का अत्याचार जारी रहा तथा और गिरफ्तारियाँ की गई।

इस परिस्थिति में सीटू राजस्थान राज्य समिति ने, यूनियन की उपरोक्त माँगों को लेकर आंदोलन शुरु करने का फैसला किया साथ ही मजदूरों के अधिकारों व नागरिक स्वतंत्रता की 'जापानी क्षेत्र' व 'दक्षिण कोरियाइ क्षेत्र' में बहाली तथा गैरकानूनी तरीके से भारतीय क्षेत्र पर कब्जा दर्शाने वाले बोर्डों को हटाये जाने की भी माँग की है।

5 फरवरी को नीमराना में एसडीएम के कार्यालय के बाहर विरोध रैली में 1500 से अधिक मजदूर शामिल हुए, इनमें नीमराना औद्योगिक क्षेत्र के युवा मजदूरों की संख्या अधिक थी। मजदूरों के इस जोशीले विरोध प्रदर्शन व रैली को तपन सेन, इलामारम करीम, शंकर दत्ता; राष्ट्रीय व राज्य के एटक नेताओं, एच.एम.एस. व सीटू नेताओं व अन्य ने संबोधित किया। इस रैली में हरियाणा के लगते औद्योगिक क्षेत्रों में सीटू की व अन्य यूनियनों के नेता भी शामिल हुए।

17 फरवरी को नीमराना में 700 मजदूरों की रैली व जुलूस निकाला गया जिसमें विशेषतौर पर ठेका मजदूरों की माँगों – एन.सी.टी. दिल्ली के बराबर न्यूनतम वेतन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरुप समान काम के लिए समान वेतन, रोजगार को नियमित करने आदि की माँगों को उठाया गया। पुलिस न अपने रवैये के अनुरुप जुलूस को 'जापानी क्षेत्र' में नहीं जाने दिया और इस विशेष जोन में घुसने की कोशिश पर लाठी चार्ज की धमकी दी। रैली को सीटू के राज्य नेताओं व अन्य ने संबोधित किया।

आंदोलन को जारी रखते हुए 20 फरवरी को नीमराना से 72 किमी दूर अलवर में जिला प्रशासन के सामने सैकड़ों मजदूरों ने प्रस्थान किया। 21 फरवरी से धरना व क्रमिक भूख हड़ताल भी जारी है।

इस पृष्ठभूमि में, सीटू की राजस्थान राज्य समिति ने मजदूरों व सीटू की माँगों के समाधान के लिए तुरन्त हस्तक्षेप की माँग करते हुए जयपुर में मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन करने का फैसला किया है। इसमें सीटू के राष्ट्रीय नेता भी हिस्सा लेंगे। उस दिन, सभी जिला मुख्यालयों में भी एक ही समय पर प्रदर्शन किये जाऐंगे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे जायेंगें।

सीटू ने डायकिन के संघर्षरत मजदूरों के साथ देशव्यापी एकजुटता का आह्वान किया है और अपनी राज्य समितियों व राष्ट्रीय फेडरेशनों को राजस्थान के मुख्यमंत्री को माँगपत्र भेजने को कहा है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

नीमराना भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में आता है जिसमें दिल्ली समेत हरियाणा के 14 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 और अलवर सहित राजस्थान के दो जिले शामिल हैं; इसका कुल क्षेत्रफल 54,984 वर्ग किलोमीटर है; जनसंख्या 4.6 करोड़ है; इसकी अर्थव्यवस्था, देश की 2016–17 की जी.डी.पी. का 8% है; यह आई.टी. में पहले; ऑटो व टेलीकॉम में पहले स्थान पर है; दिल्ली ने कॉमर्स में मुम्बई को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन यह औद्योगिक संबंधों व ट्रेड यूनियन अधिकारों में सबसे कमजोर है।

एन.सी.आर. का गठन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, योजना बोर्ड द्वारा 1985 में किया गया था; संबंधित राज्य विधायिकाओं ने भी वैसे ही प्रस्ताव पारित किये। इसे इसे मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों व केन्द्र सरकार के साथ एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड अपने तहत एक आपरेशनल कमेटी के द्वारा शासित करता है। ''बोर्ड विस्तृत योजनायें चुन और पारित कर सकता है और इन योजनाओं के क्रियान्वन के लिए सहायता प्रदान करता है।''

ऋण सहायता का पैटर्न 25:75 का है; 25% ऋण लेने वाली एजेन्सी का योगदान होता है तथा परियोजना की 75% लागत एन.सी.आर. प्लैनिंग बोर्ड का ऋण होता है। बोर्ड फिलहाल 10 वर्ष की अवधि का कर्ज देता है जिसमें मूलधन के भुगतान में दो वर्ष का ऋण स्थगन होता है।

समानता, गरिमा और सुरक्षा के लिए

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019

इस साल (2019) अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तुरंत बाद अप्रैल–मई 2019 में लोक सभा चुनाव होंगे। सीटू सचिवमंडल की विस्तारित बैठक ने फैसला किया है कि इस अवसर का उपयोग सामान्यतः तथा विशेषकर कामकाजी महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले कुछ प्रमुख मुद्दों को राजनीतिक चर्चा में लाने के लिए किया जाए ताकि नीतिगत बदलाव लाने के लिए अधिक दबाव बनाया जा सके। अभियान का विषय **''महिलाओं के लिए समानता, गरिमा और सुरक्षा''** होगा।

अभियान और लामबंदी निम्नलिखित मुद्दों पर केंद्रित होगी– • महिलाओं के अवैतनिक और अल्पकालिक श्रम जिसमें योजना मजदूरों की अवैतनिक/अल्पवैतनिक देखभाल कार्य भी शामिल है, को मान्यता और वैधानिक न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा देने से भी इंकार जैसे मुद्दे। • कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सहित समाज में महिलाओं और बच्चों पर हिंसा। • संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण सहित निर्णय लेने वाली समितियों में महिला प्रतिनिधित्व।

अवैतनिक महिला मजदूरों के मुद्दे और माँगें

2018 में हुए आईएलओ के अध्ययन से पता चला है दुनिया भर में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक काम से एक साल में 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का इजाफा होता है, जो दुनिया के संपूर्ण जीडीपी के आठवें हिस्से के बराबर है, और भारत, जापान और ब्राजील के सकल घरेलू उत्पाद से भी अधिक है।

महिलाएं रोजाना घर का काम, खाना बनाना, घर का रखारखाव, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल, घर के लिए पानी और ईंधन आदि लाने के लिए घंटों बिताती हैं। इसके अलावा, वे परिवार के मवेशी पालन और कृषि कार्य या ईंट एवं बीड़ी जैसे अन्य में ग्रामीण मजदूरों के तौर पर काफी हिस्सेदारी करती हैं।

पीने के पानी, ईंधन, और बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सुविधाओं की कमी का पूरा बोझ महिलाओं पर पड़ रहा है। महिलाओं की असंगत जिम्मेदारी, उनकी ऊर्जा और समय की भारी मात्रा को निचोड़ लेती है। महिलाओं को इस बोझ को सहते हुए जीविकोपार्जन करना होगा।

महिलाऐं शहरी क्षेत्रों में प्रति दिन 312 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति दिन 291 मिनट ऐसे अवैतनिक देखभाल कार्य पर खर्च करती हैं। इन सभी के बाद भी, कार्यस्थलों पर महिला मजदूरों के साथ, वेतन और अन्य सेवा षर्तों और करियर–प्रगति आदि में भेदभाव किया जाता है।

आई.एल.ओ. की रिपोर्ट कहती है, भारत में, महिलाओं की कार्य सहभागिता दर लगभग 20% है। महिलाओं का एक बड़ा तबका शिशु देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण संबंधी पूरक आदि में लगभग आधी आबादी को देखभाल का काम और सेवाएं प्रदान कर रहा है। योजनाकर्मियों – आँगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील वर्कर्स को – 'वर्कर्स' नहीं माना जाता है और उन्हें न्यूनतम वेतन से बहुत कम राशि का भुगतान किया जाता है। इन योजनाओं को संस्थागत बनाने और असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के विशाल तबके के लिए उचित स्वास्थ्य देखभाल और शिशु देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के बजाय, भाजपानीत केंद्र सरकार इन योजनाओं के वित्तीय आवंटन में कटौती और निजीकरण की ओर कदम दर कदम बढ़ा रही है। 45वीं और 46वीं आई.एल.सी. की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में योजनाकर्मियों की लंबे समय से लंबित मांगें – वर्कर्स के रूप में मान्यता, न्यूनतम वेतन और पेंशन आदि, अभी भी वाम दलों को छोड़कर मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के एजेंडे में नहीं है।

अधिकांश क्षेत्रों में उदाहरण के लिए निर्माण में, महिला मजदूरों के बड़े बहुमत के लिए समान काम के लिए समान वेतन एक सपना ही बना हुआ है।

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा

हर दिन हम देश के किसी एक या दूसरे हिस्से में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, हमले, तेजाब हमले, बलात्कार, हत्या आदि की रिपोर्ट देखते हैं। छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता है। महिलाओं पर हमले और बलात्कार का इस्तेमाल समुदायों को दंडित करने या अपमानित करने के औजार के रूप में किया जा रहा है। हमने कई स्थानों पर सांप्रदायिक और जातिगत हिंसा के दौरान इसे देखा है। दलित और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित हैं।

महिलाऐं क्या पहनती हैं, किसके साथ बोलती हैं, कहाँ जाती हैं, इस पर पाबंदी लगाई जाती है। कुछ स्थानों पर उन्हें मोबाइल फोन का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के दोषियों को दंडित करने के बजाय, महिलाऐं इस तरह के प्रतिबंधों से दंडित हैं।

अपने जीवन साथी चुनने पर, खासकर यदि वे दूसरे धर्मों या जातियों से हों तो खाप पंचायतों और 'नैतिक पुलिस' उन्हें परेशान करते हैं, उन पर हमला किया जाता है और यहाँ तक कि उन्हें और उनके जोड़ीदारों को मार डाला जाता है।

सरकार 'बेटी बचाओ; बेटी पढाओ' की बात करती है। वह परिवार नियोजन की बात करती है। वह महिला सशक्तिकरण की बात करती है। लेकिन वह महिलाओं के प्रति प्रचलित पितृसत्तात्मक रवैया, जो महिलाओं को पुरुषों से नीचे मानता है, को बदलने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं करती है। यह पितृसत्तात्मक रवैया महिलाओं के साथ मानव के रूप में व्यवहार नहीं बल्कि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उनको वस्तुओं के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है।

निर्भया की घटना के मद्देनजर सरकार ने हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने कानूनों में बदलाव, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों के मामले में आपराधिक कार्यवाही करने और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्थागत उपायों का सुझाव दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से पांच साल से अधिक समय के बाद भी, सिफारिशों को लागू किया जाना बाकी है।

कामकाजी महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। यह महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है और उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा कर रहा है। इसके पारित होने के पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत समितियों का गठन सरकारी क्षेत्र में भी नहीं किया जा रहा है।

निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

स्थानीय निकायों और पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण 1992 से अस्तित्व में है और दस लाख से अधिक महिलाएँ आज पंचायत प्रणाली के तीन स्तरों में जनप्रतिनिधियों के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, त्रिपुरा और तेलंगाना में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है।

इस प्रकार आरक्षण के माध्यम से निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी ने स्थानीय स्तर पर प्राथमिकताओं और वास्तविक विकास की अवधारणा में सकारात्मक बदलाव किए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से सफलता की कहानियाँ सामने आ रही हैं, इन महिला प्रतिनिधियों ने जाति और धार्मिक मतभेदों को रोकते हुए, अपने इलाके में जीवन और आजीविका में बदलाव और महिलाओं के सशक्तीकरण में बदलाव किया है। कई सक्षम महिला नेता इस प्रक्रिया में उभरी हैं। आधी आबादी को निर्णय लेने में शामिल करने से ही लोकतंत्र सार्थक हो सकता है।

स्थानीय निकायों में आरक्षण की सफलता के बावजूद, विधानसभाओं और संसद में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, भारत में अभी भी एक दूर का सपना ही है। राज्यसभा ने 9 मार्च 2010 को इस पर विधेयक पारित किया। विधेयक को वामपंथ के पूर्ण समर्थन के बावजूद, पूर्व यूपीए सरकार लोकसभा में पेश करने में हिचकिचायी। कुछ नेताओं और पार्टियों द्वारा कुछ या अन्य किसी बहाने से महिलाओं के आरक्षण का विरोध लोकतांत्रिक लोकाचार के विपरीत है और इसे उजागर और चुनौती दी जानी चाहिए। कांग्रेस और भाजपा सहित अधिकांष मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने महिला आरक्षण विधेयक का वादा किया था, लेकिन भाजपा सरकार भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने से न केवल महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी समग्र रूप से मजबूती मिलेगी।

हमारी माँगें

• आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील मजदूरों सहित योजनाकर्मियों को वर्कर्स के रूप में मान्यता दें, न्यूनतम वेतन रु० 18,000 प्रति माह और रु० 6,000 पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें। घरेलू मजदूरों सहित सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन; • महिला मजदूरों को समान वेतन; • महिलाओं के अवैतनिक श्रम, विषेश रूप से देखभाल के काम की, जीडीपी में गणना होनी चाहिए; • श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बच्चों और बुजुर्गों के लिए संस्थागत देखभाल सुनिश्चित करना; आंगनवाड़ियों को आंगनवाड़ी व बालग्रह में बदलें; • महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के ठोस उपाय। न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करना; समयबद्ध तरीके से पूर्ण कानूनी और प्रषासनिक उपाय; केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की गई रिपोर्ट पेश करना; पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता सहित व्यापक सामाजिक जागरूकता और सतर्कता कार्यक्रम; • कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम को लागू करना। सभी संस्थानों में तुरंत शिकायत समितियों का गठन करें; दोषी संस्थानों और प्राधिकरणों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई; • सार्थक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% प्रतिनिधित्व; सभी निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व। (सीटू अभियान दस्तावेज 2019 से)

उद्योग एवं क्षेत्र

सी.पी.एस.ई.

सी.पी.एस.ई. की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक

नई दिल्ली के बीटीआर भवन में 11 फरवरी को आयोजित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र यूनियनों (सी.पी.एस.यू.एस.) की सीटू की अखिल भारतीय समन्वय समिति (ए.आई.सी.सी.) की विस्तारित बैठक में 15 राज्यों से 15 सी.पी.एस.यू. के 75 प्रमुख पदाधिकारियों ने भाग लिया। अध्यक्ष हेमलता की मौजूदगी में सीटू के महासचिव तपन सेन ने बैठक का उद्घाटन करते हुए अपने संबोधन में, सी.पी.एस.यू. कर्मचारियों के समक्ष चुनौतीपूर्ण मुद्दों से निपटने, विशेष रूप से सी.पी.एस.यू. कर्मचारियों द्वारा 8–9 जनवरी की हड़ताल की समीक्षा; और भविष्य के कार्य, जो बैठक में प्रस्तावित हैं, जिसमें संगठन को मजबूत करना शामिल है पर जोर दिया।

सी.पी.एस.यू.एस. की ए.आई.सी.सी. के संयोजक, एस. देव रॉय ने मोदीनीत भाजपा सरकार के सी.पी.एस.ई. का विघटन करने के राष्ट्रविरोधी कदमों के बारे में पृष्ठभूमि और विश्लेशण के साथ चर्चा के लिए दस्तावेज पेश किया।

सीटू की कोझिकोड जीसीएम के अपडेट संगठनात्मक दस्तावेज के आधार पर, पी. राममूर्ति ट्रेड यूनियन एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, साकेत नई दिल्ली में, 15–17 जून को संगठन पर 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने, जिसमें सी.पी.एस.ई. फैडरेशनों/समन्वय समितियों के प्रमुख पदाधिकारियों और चयनित यूनियनों के प्रमुख पदाधिकारियों, को भाग लेना है, के निर्णय के साथ बैठक संपन्न हुई। मीटिंग की अध्यक्षता स्वदेश देव रॉय ने की।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विघटन

एस. देव रॉय

तीन भिन्न चरण

राजीव गांधी के कार्यकाल (1984–1989) में उदारवाद की ओर जोर लगाया गया ओर 1991 में नई आर्थिक नीति' के स्वीकारे जाने के साथ ही हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के पीछ हटने की तेज शुरूआत हो गई। साधारण अधिकारहरण के बाद रणनीतिक विनिवेश और फिर सीधे पूर्ण निजीकरण के हमले ने नवउदारवाद के सिद्धान्त के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के विघटन की विनाशकारी प्रक्रिया को आगे बढाया।

मौजूदा संदर्भ में, सार्वजनिक क्षेत्र पर हमले की नीति की पहल तब की नरसिहं राव के नेतृत्व वाली कॉंग्रेस सरकार ने की थी जिसमें मनमोहन वित्त मंत्री थे। कॉंग्रेस सरकार ने जहाँ बुक बिल्डिंग की कसरत के जरिए और फिर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की ऊंची कीमत पर ब्रिकी की इच्छा के साथ विनिवेश का रास्ता लिया; वहीं भाजपा सरकार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश करने के लिए न केवल सार्वजनिक उपक्रमों को दिवालिया बना रही है बल्कि संविधानिक कार्यालयों और संसद को भी सार्वजनिक उपक्रमों की छवि को धूल में मिलाने के लिए इस्तेमाल कर रही है और इस प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों की शुद्ध कीमत को घटा रही है। इसका एक हालिया उदाहरण रफाल सौदे में एच.ए.एल. का है।

तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र को निर्णायक रूप में नुकसान पहुँचाने वाला हमला पिछली एनडीए सरकार में हुआ। मोदी शासन की चर्चा पर आने से पहले पिछली एनडीए सरकार में हुए विनिवेश के हमले का एक संक्षिप्त जायजा लेना उचित होगा।

क्रूर योजना

दिसम्बर 1999 में एक अलग विभाग के रुप में विनिवेश विभाग स्थापित किया गया जिसे बाद में दर्जा बढ़ाकर सितम्बर 2004 में विनिवेश मंत्रालय कर दिया गया। वाजपेयी मंत्रिमंडल में कुख्यात अरुण शौरी कैबिनेट दर्जे के विनिवेश मंत्री थे। इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के हितों के खिलाफ कई विनाशकारी फैसले लिए गये। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश व रणनीतिक बिक्री इक्विटी के अत्यधिक कम मूल्य पर किये गये और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कब्जाने वाले निजी हितों को भारी नाजायज फायदा पहुँचाया गया।

राजग सरकार के दौरान 2001–02, 2003–04 की समयावधि में सबसे अधिक विनिवेश किया गया। इन्हें या तो रणनीतिक बिक्री की शक्ल में (जिसमें नियंत्रण व प्रबंधन का प्रभावी हस्तातंरण निजी हाथों में किया जाता है) या फिर बिक्री की पेशकश (ऑफर फार सेल) के रास्ते से किया गया। रणनीतिक बिक्री के रास्ते विनिवेश की गयी कुछ कंपनियों में भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, सीएमसी लि. हिन्दुस्तान जिंक लि., होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन (18 होटल

संपत्तियां), इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कॉरपोरेशन लि., जेसप एंड कंपनी लि., लगन जूट मशीनरी, दी मारुति सुजुकि इंडिया लि., माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया)लि., प्रदीप फोस्फेट्स लि., विदेश संचार निगम लि. शामिल थीं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार रक्षा क्षेत्र के उत्पादन को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया इसमें रक्षा उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मुक्त प्रवेश भी शामिल था।

तथापि, उसके बाद यूपीए–1 सरकार में, वामपंथी पार्टियों के दबाव में मई, 2004 से विनिवेश विभाग को खत्म कर दिया गया और वित्त मंत्रालय के तहत एक विभाग बन गया। इस दौरान विनिवेश लगभग शून्य रहा इसका श्रेय संसद में वामपंथी ताकतों की मजबूत उपस्थिति को जाता है।

एनडीए के दोनों कार्यकालों के दौरान विनिवेश

नीचे दी गयी तालिका अटल विहारी वाजपेयी (1998–2004) के नेतृत्ववाली एनडीए सरकार की सबसे हानिकारक भूमिका को स्पष्ट रुप से दिखाती है। लेकिन नरेन्द्र मोदी के नेतृत्ववाली वर्तमान एनडीए सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को नष्ट करने के लिए मिशन मोड में आगे बढ़ रही है और उसने रणनीतिक क्षेत्र वाले सार्वजनिक क्षेत्र जिनका बेहतरीन आधारभूत ढांचा व वित्तीय प्रदर्शन है, उन्हें भी नहीं छोड़ रही है। निम्नलिखित खास तथ्य हिला देने वाले व आँखे खोलने वाले हैं।

केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के कुल विनिवेश का 60.24 प्रतिशत मोदी के प्रधानमंत्री रहने के साढ़े चार वर्षों में हुआ है। एनडीए शासन के दौरान कुल विनिवेश का 68.67 प्रतिशत किया गया है। औसतन एनडीए के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के 13. 4 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश हुआ और संयुक्त मोर्चा, यूपीए आदि के नेतृत्व वाली सरकारों ने केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के केवल 1.7 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश किया।

केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश 24 वर्षों में (1991– 2014) मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले		केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश 4.5 वर्षों में (2014से 19 जनवरी,2019) मोदी के प्रधानमंत्री रहते	
वर्ष	विनिवेश की गई राशि (करोड़ रु. में)	वर्ष	विनिवेश की गई राशि (करोड़ रु. में)
1991 से 1996	9,961.83	2014 से 2015	26,068.25
1996 से 1999	6,660.78	2015 से 2016	23,996.80
1999 से 2004	28,284,48	2017 से 2017	46,246.58
2004 से 2009	8,515.94	2017 से 2018	100056.91
2009 से 2014	99,367.46	2018 से 2019	35,134.76
कुल	1,52,790.49	कुल	2,31,503.30

<u>कुल जमाः 3,84,293.79 करोड़</u>

मोदी मिशन': केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का पूरी तरह सफाया

मोदी के नेतष्त्व वाली राजग सरकार देश के आर्थिक मानचित्र से सार्वजनिक क्षेत्र को पूरी तरह से मिटा देने के विद्वेषपूर्ण मिशन पर चल रही है। अपने घिनौने मिशन को पूरी करने के लिए वह बुनियादी संस्थाओं को तबाह कर रही है। मोदी के नेतृत्व वाली सरकार महत्व पूर्ण मुद्दों पर संसद समेत सभी जनवादी संस्थाओं को बाईपास करते हुए एकतरफा फैसले ले रही है। भाजपा सरकार करदाताओं के पैसे और आत्मनिर्भर औद्योगिक वृद्धि के राष्ट्रीय उद्देश्य व देश की राजनीतिक व आर्थिक सम्प्रभुता को मजबूत करने की देशभक्ति की भावना के साथ मेहनकश जनता के श्रम से निर्मित राष्ट्रीय सम्पदाओं को देशी–विदेशी बड़े व्यापारिक घारानों को सौंपने के लिए बदहवाश है। यह पूरी तरह से नीति का दिवालियापन राष्ट्र से विश्ववासघात तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी और साम्राज्यवादी ताकतों के दबाव आगे मोदी सरकार का समर्पण है। इस तथ्य को समझना आवश्यक है कि मोदी सरकार निजी व्यापारिक घरानों को संकेत दे रही है कि वह सिर्फ निजी क्षेत्र के लिए है और सार्वजनिक क्षेत्र के पूर्णतः खिलाफ है।

भारत के योजना आयोग का खात्मा

1956 की औद्योगिक नीति के प्रस्ताव से शक्तिप्राप्त योजना आयोग ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र की गाड़ी को आगे ले जाने के लिए इंजन का काम किया। नई दिल्ली में 30–31 अगस्त,2014 की बैठक में इस मंच के सम्मुख पेश पृष्ठभूमि पेपर में हम तालिकाबद्ध तथ्यों व ऑकड़ों के साथ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अधिकतर बुनियादी रणनीतिक क्षेत्रों में निर्माण के लिए योजना आयोग द्वारा निभायी गई सबसे महत्वपर्ण भूमिका की चर्चा कर चुके हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र को तबाह कर पूरी तरह से निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाने की अपनी सरकार की प्रतिद्धिता का संदेश देने के लिए एनडीए सरकार ने सत्ता संभालते ही 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर देश में नियोजित अर्थव्यवस्था के अंत का संकेत दे दिया था। नीति आयोग, यानी तथाकथित थिंक टैंक, एक शासकीय आदेश के माध्यम से किसी भी प्रशासनिक प्रकार में अस्तिव में लाया गया ऐसा अजीब जन्तु है जो संसद, न्यापालिका,विधायिका किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं है। मोदी सरकार का अगला

विनाशकारी कदम था वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र को तबाह करने वाले वाहन का निर्माण जिसे डी.आइ.पी.ए.एम. कहते हैं यानि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट। इस अजीब निकाय का घोषित उद्देश्य इसके अपने नाम के ठीक उलट है। यह पहले के विनिवेश मंत्रालय का नया अवतार है।

यह एक क्रूर मजाक है कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाले योजना आयोग को आज (नीति आयोग) मोदी सरकार ने उन राष्ट्रीय संपदाओं को नष्ट करने का काम दे रखा है। विभिन्न तरीकों से राष्ट्रीय संपदा की लूट ही एनडीए सरकार के थिंक टैंक, नीति आयोग का एकमात्र उद्देश्य है। इस सरकार ने, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में हिस्सेदारी की बिक्री के लिए केन्द्रीय मंत्रीमंडल द्वारा अलग मामलों को एक के बाद एक मंजूरी देने के तरीके को धता बताकर नीति आयोग को हिस्सेदारी की बिक्री,संपदा बिक्री व सीधे निजीकरण के बारे में फैसला लेने का अधिकार दे दिया है।

सार्वजनिक उपक्रमों के बोर्डों में भाजपा कैडरों की भरमार

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में एनडीए सरकार की नीति को आगे बढ़ाने के एक अन्य तरीके में नरेन्द्र मोदी ने सार्वजनिक उपक्रमों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चुन–चुन कर भाजपा के कैडरों व नेताओं को मनोनीत किया है। ओ एन जी सी,ई आइ एल, एच पी सी एल,बी पी सी एल,भेल, एस टी सी समेत 11 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में पहले ही ऐसे मनोनीत निदेशकों को भर दिया गया है। इस संदर्भ में भारत सरकार के पूर्व सचिव ई ए एस सरमा द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे गये पत्र को परिशिष्ट के रुप में दिया जा रहा है।

विनिवेश के विभिन्न रास्ते

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए,राजग सरकार ने बहुत ही बेतुके व भद्दे नीति उपायों का सहारा लिया है। जो तरीके अपनाये गये है उनमें आइपीओ, एफपीओ, ओएफएस, ईटीएफ, रणनीतिक बिक्री, बाइबैक, बोली के रास्ते बिक्री, आवश्यक उधारी (कम्पलसरी बौरोंइंग) आदि शामिल हैं। निम्न तालिका में वर्ष 2016–17 में विभिन्न रास्तों से विनिवेश प्राप्तियों को दर्शाया गया है:

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	खात्मे का रास्ता	बर्बादी का हासिल (करोड़ रु० में)
7	बाई बैक	18, 963.47
6	एम्पलाई ओएफएस	529.19
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का समूह	एक्सचेंज ट्रेडेड फंड	8, 499.98
5	ओएफएस	7, 475.23
	रणनीतिक बिक्री	10, 778.71
	कुल	46, 246.58

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की वित्तीय क्षमता पर बाईबैक तरीके द्वारा जर्जर बना देने वाले प्रभाव पर ध्यान दें। वर्ष 2016–17 के दौरान विनिवेश से हुई कुल आय 46,246.58 करोड़ रुपये में से 18,963.47 करोड़ रुपये 7 सार्वजनिक उपक्रमों के बाईबैक से अर्जित हुए। नकदी के धनी सार्वजनिक उपक्रमों पर भी इतना गंभीर प्रभाव हुआ है कि अब वे नयी परियोजनाओं के लिए तथा कर्मचारियों का वेतन देने तक के लिए पैसे की किल्लत का सामना कर रहे हैं और बाजार से कर्ज लेने को विवश हैं। इसके आगे के नतीजे के रुप में कई सार्वजनिक उपक्रम नगदी के धनी से कर्ज के बोझ में दब गये हैं। राजग सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को वाणिज्यिक रुप से गैर–वहनीय विलय व अधिग्रहण के लिए बाध्य किये जाने से स्थिति और खराब हो गई है।

ओ एफ एस के रास्ते सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम के शेयरों को संबद्ध उपक्रमों (2016–17 में 6 उपक्रमों के कर्मचारियों को बेचकर 529.19 करोड़ रुपये जमा किये। अचंभित करने वाली बात है कि एम्पलाइज ओ एफ एस के कुछ महीनों के अन्दर ही शेयरों का मूल्य नीचे आ गया और मजदूरों को अपनी गाढ़ी कमाई से हाथ धोना पड़ा। दरअसल सरकार ने इस तरह से सार्वजनिक उपक्रमों व कर्मचारियों दोनों को ठगा।

जले पर नमक छिड़कते हुए, सरकार शेयर बाजार के लेन–देन पर लगने वाले टैक्स के हिसाब से उनके बाईबैक शेयरों पर टैक्स भी वसूल रही है और इस प्रकार लाश से भी कमाई कर रही है।

नकदी से धनी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कंगाल करने का यह चलन वित्त वर्ष 2017–18 में भी जारी रहा। निम्न तालिका बाइबैक के मद में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर मोदी सरकार के हमले की झकझोरने वाली तस्वीर पेश करती है।

वर्ष	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	कुल
बाईबैक करोड़ रुपये में	0	4, 483.22	18, 963.47	5, 337.55	2, 585.32	31, 369.56

यह स्पष्ट है कि संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बाइबैक के चलते वे 31,369.56 करोड़ रुपये की राशि से हमेशा के लिए हाथ धो बैठे हैं। इस राशि से उनके आधुनिकीकरण में, नई फैक्टरियॉ व उत्पाद बनाने में मद्द मिल सकती थी। यह विनाश वर्ष 2018–19 में भी जारी रहा।

यह नोट किया जा सकता है कि बाइबैक और सरकार के द्वारा असामान्य ढंग से लाभॉश लिए जाने के चलते सार्वजनिक उपक्रमों की उनकी निवेश की जा सकने वाली राशि में वित्तीय वर्ष 2014 में 2.64 लाख करोड़,वित्तीय वर्ष 2017 में 1.95 लाख करोड़ और वित्तीय वर्ष 18 में 1.7 लाख करोड़ रुपये की कमी आई है। हमने ऊपर चर्चा की है कि किस प्रकार राजग सरकार के अत्याचारों के कारण केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को संचालन के लिए जरुरी पूँजी की भारी किल्लत हो रही है।

सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आवश्यक उधारी के लिए सरकार का निर्देश

वित्त मंत्रालय ने 27 मई, 2016 को एक कार्यालय आदेश जारी किया जिसमें पूँजी पुनर्गठन के बारे में सार्वजनिक उपक्रमों को निर्देश दिये गये। तथापि, इस आदेश के साथ संलग्न किये गये विस्तृत पृष्ठभूमि नोट में प्रयोजनीयता, लाभांश भुगतान, शेयरों की वापिस खरीद, बोनस शेयरों का मुद्दा, शेयरों का बंटवारा तथा अन्य प्रकर के प्रावधानों की चर्चा की गयी। यह पृष्ठभूमि नोट स्पष्ट कहता है कि यह सब वर्तमान सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र नीति पर आधारित है। पृष्ठभूमि नोट का सार एक अलग परिशिष्ट के रुप में दिया गया है।

सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को कहा है कि वे बोनस शेयरों, शेयरों के बंटवारे आदि के माध्यम से अपनी शुद्ध कीमत को नीचे लायें। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि जब भी किसी सार्वजनिक उपक्रम के पास 2000/1000 करोड़ रुपये की नकदी हो, उसे अवश्य ही तब तक बाइबैक के लिए जाना चाहिये जब तक कि उसका नकदी भंडार खत्म न हो जाये। वित्त मंत्रालय के इन उपरोक्त निर्देशों को देखकर कोई भी आसानी से इनके पीछे छिपे राक्षसी षडयंत्र को समझ सकता है। राजग सरकार की असली मंशा सार्वजनिक उपक्रमों को ऐसी हालत में पहुँचाना है जिसमें संभावित निजी खरीददारी उन्हें खरीद सकें।

यह नहीं भूलना चाहिये कि केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के सुनियोजित विखंडन, विद्यटन और उनकी सार्वजनिक छवि को मटियामेट करने के पीछे उन सामाजिक वर्गों की अंदरुनी हलचल है जो न्याय को लागू करने में एक माध्यम की सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका से चिढ़ते हैं। समाज का यही हिस्सा वर्तमान सत्ताधारियों की निराधार अच्छाई को प्रचारित करने में सक्रिय है।

बजट 2019–20

यह अचंभित करने वाला है कि अंतरिम बजट में भी मोदी सरकार ने 90,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा है। इसे दो भिन्न कोणों से देखा जा सकता है। एक,कि मोदी सरकार सार्वजनिक उपक्रमों का नाश करने के अपने मिशन को लेकर इतनी उतावली है कि आगामी चुनाव भी उसे ऐसे राष्ट्र विरोधी व जन–विरोधी कदम उठाने से नहीं रोक रहा । दूसरे,यह कि मोदी ने ऐसा मान लिया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर ट्रेड यूनियन आंदोलन की परवाह करने की जरुरत नहीं है। बजट के तुरंत बाद ही सरकार ने दो विनाशकारी कदम उठाये हैं। एक यह कि सार्वजनिक क्षेत्र की जमीन व अन्य संपत्ति को बेचने की प्रक्रिया शुरु की गई है जिसे असेट मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क कहा गया है कहा जा रहा है कि डी.आइ.पी.ए.एम., सार्वजनिक क्षेत्र पर होने वाले इस हमले का खाका और रास्ता तैयार कर रहा है।

यही नहीं, 10 सार्वजनिक उपक्रमों के आइ पी ओ तैयार हो चुके है। इसके अलावा, 2019–20 के लिए रखे गये 90,000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पाने के लिए सैक्टरवार एक्सचेंज ट्रेड्ड फंड्स (ईटीएफ) शुरु करने की योजना भी है।

निवेश व सार्वजनिक संपदा प्रबंधन विभाग (डीआइपीएएम) के सचिव अतनु चक्रवर्ती के अनुसार, मंत्रालय की योजना कई सारे केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश तथा राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों की गैर–अहम संपत्तियों का मुद्रीकरण करने की है। चक्रीवर्ती ने पी टी आई को बताया–'' हमारे पास लगभग 10 आइ पी ओ तैयार हैं। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी कंपनियॉ है जिन्हें न्यूनतम सार्वजनिक शेयर रखने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हम नये थीम आधारित ई टी एफ भी लायेंगे। इसके साथ रणनीतिक विनिवेश भी किया जाना है और चुनावों के बाद हम इसे तेजी से बढ़ायेंगें और अगले वर्ष असेट मोनेटाइनेशन फ्रेमवर्क सामने आ जायेगा।'' सरकार, ओ.एन.जी.सी., कोल इंडिया व आई.ओ.सी. से और बाइबैक के लिए पहले ही कह चुकी है।

ऐसे समय जब संसदीय चुनाव बिलकुल सामने हैं, मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र पर विनाशकारी हमला जारी रखे हुए है। यह समझना मुश्किल नहीं कि यदि ' मोदी सरकार' फिर सत्ता में आयी तो क्या होगा।

इस परिस्थिति में यह कहना अतिश्योक्ति नहीं कि– '' देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में कार्यरत अपने नाम को सार्थक करने वाली ट्रेड यूनियन के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक,नेता व कैडर के लिए यह करो या मरो की स्थिति है।''

केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में घटता रोजगार

केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों पर नवउदारवादी नीति के हमलों का एक गंभीर परिणाम है इन उपक्रमों में दिन प्रतिदिन घटती स्थायी कर्मचारियों की संख्या। बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे है लेकिन इससे पैदा हो रही रिक्तियों को भरने के लिए कोई नई भर्ती नहीं हो रही। अनुमान है कि,तेल क्षेत्र में ही कोई 1 लाख पद रिक्त है। ठेका मजदूरों की भर्ती और प्रमुख कार्यों समेत काम की बड़े पैमाने पर आऊटसोर्सिंग के चलते सार्वजनिक उपक्रमों में स्थायी मजदूरों की संख्या घटती जा रही है।

2013–18 के दौरान पब्लिक एंटरप्राइजेज रिपोर्ट से निकाले गये आंकड़ो से पता चलता है भाजपा सरकार को पिछले पॉच वर्षों में सी पी एस यू में कोई 2.63 लाख स्थायी रोजगारों का नुकसान हुआ है। तथापि, इससे किसी को यह नहीं मानना चाहिये कि ऐसा पूँजी आधारित टेक्नालॉजी के कारण हुआ है क्योंकि, वर्तमान सरकार की विरोधी नीतियों के चलते बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम टेक्नालॉजी के अपग्रेडेशन की कमी से जूझ रहे है।

वित्तीय वर्ष	स्थायी रोजगार	वित्तीय वर्ष	स्थायी रोजगार
2013–14	13.51 लाख	2016–17	11.31 लाख
2014–15	12.91 लाख	2017–18	10.88 लाख
2015–16	12.33 लाख		

नीम (एन ई ई एम) व नीटेप (एन ई टी ए पी)

श्रम के अत्यधिक शोषण के लिए पूरी तरह से असुरक्षित अस्थायी रोजगार के लगातार बढ़ते जा रहे तथ्य ने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षुओं को काम पर लगाने के चलन से बदतर रुप धारण कर लिया है। अप्रेन्टिसशिप एक्ट में संशोधन के साथ ही नीम (नेशलन एम्प्लोयेबिलिटी एनहेंसमेंट मिशन व नीटेप (नेशनल एम्प्लायमेंट थ्रू अप्रेन्टिसशिप प्रोग्राम) का लाया जाना भाजपा की मोदी सरकार की ओर से अपने कारपोरेट आकाओं को दिया गया एक और 'उपहार' है।

इन योजनाओं को, रोजगार की ज्यादा योग्यता सुनिश्चित करने के लिए देश में युवाओं की कुशलता के स्तर को सुधारने व बढ़ाने के नारों के शोर के बीच छिपाकर लाया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता में यह ऐसा खतरनाक षडयंत्र है जिसमें नियमित मजदूरों के काम को प्रशिक्षुओं से कराया जाना है जिसके लिए उन्हें काम पर रखे रखने, उचित वेतन व सामाजिक सुरक्षा लाभ देने की बाध्यता नहीं है और इस प्रकार श्रमिकों की कीमत पर मालिकों व नियोक्ताओं को फायदा पहुँचता है। जैसा कि विभिन्न उद्योगों में सामने आ चुका है,प्रशिक्षुओं को साल दर साल प्रोडक्शन लाइनों पर मजदूरों के रुप में प्रयोग किया जाता है पर उन्हें नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से वंचित रखा जाता है। नीम के बारे में,इसके वैद्यानिक प्रावधानों व सरकारी कायदों व निष्कर्ष टिप्पणियों वाला एक विस्तृत दस्तावेज अलग परिशिष्ट के रुप में दिया जा रहा है।

ठेका मजदूरों से संबंधित चुनौतियां

कर्मचारियों के संघटन के ढॉचे में अत्याचारी बदलावों के तहत, स्थायी मजदूरों की संख्या के घटने और ठेका मजदूरों की विशाल वृद्धि कर सवाल बहुत बड़ा बन गया है।

जहाँ पुरानी श्रम आधारित औद्योगिक इकाईयों में भी ठेका श्रमिकों की संख्या स्थायी मजदूरों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक पहुँच गई है, नई पीढ़ी के पूँजी आधारित औद्योगिक इकाईयों में तो स्थायी मजदूरों की संख्या मुट्ठी भर है और ठेका मजदूरों की सैकड़ों व हजारों में। दूसरी ओर एक्जीक्यूटिव्स व गैर यूनियनबद्ध सुपरवाइजरों की संख्या मिलाकर स्थायी मजदूरों से दो तिहाई से ज्यादा व कई मामलों में तो तीन चौथाई तक पहुँच गई है। वेतन, लाभों, मुआवजे व सामाजिक सुरक्षा के मामलों में तो ठेका मजदूरों के शोषण का स्तर बर्बर है।

हमने, ठेका मजदूरों की आयोजित कितनी ही बैठकों में बहुत सारे दस्तावेज पेश किये हैं। तथापि, नीम व नीटेप के आने के साथ परिस्थिति नाटकीय रुप से बदल गई है। अब स्थीाय रोजगार को पूरी तरह से तय अवधि रोजगार में और ठेका मजदूरों को प्रशिक्षुओं से बदला जा रहा है। अब रोजगार के मोर्चे पर, वापिस लायी जा रही आदिम समय की गुलामी व्यवस्था को परास्त करने की चुनौती है। केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की ट्रेड यूनियनों के नियमित मजदूरों को स्थिति की गम्भीरत को ठीक से समझना आवश्यक है और ठेका मजदूरों को स्थापित ट्रेड यूनियनों के तहत संगठित करना तथा निर्णायक कार्रवाई में उनका नेतृत्व करना है। सार्वजनिक क्षेत्र में भी ट्रेड यूनियन के अस्तित्व के लिए, ठेका मजदूरों का मुद्दा सर्वोपरि प्राथमिकता है। इसे और नजरअदांज करना आत्मघाती होगा।

दूरसंचार

बी.एस.एन.एल. में 3 दिन की मुकम्मल हड़ताल

पी. अभिमन्यु

अपने संचालन और व्यवहार्यता को मजबूत करने के लिए, बी.एस.एन.एल. को 4 जी स्पेक्ट्रम आवंटित नहीं करने की केंद्र सरकार की भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ, बी.एस.एन.एल. के कर्मचारी और अधिकारी यूनियनें लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं। जबकि सरकार निजी दूरसंचार कंपनियों जो ज्यादातर विदेषी सहयोग के साथ हैं, को इसे उदारतापूर्वक आवंटित करती है। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा जारी बयान में कहा है गया कि सरकार ने बी.एस.एन.एल. को अत्यंत असुविधाजनक स्थिति में डाला हुआ है। जो कि राष्ट्रहित के खिलाफ है। बी.एस.एन.एल. के कर्मचारी बी.एस.एन.एल. के हितों के साथ–साथ राष्ट्रीय हितों के लिए लड़ रहे हैं।

केंद्र सरकार की इस भेदभावपूर्ण और पीएसयू विरोधी नीति के कारण बी.एस.एन.एल. को नुकसानदेह स्थिति और गंभीर वित्तीय कठिनाइयों में डाल दिया गया है। दूसरी तरफ, इस नीति के कारण बी.एस.एन.एल. के बढ़ते नुकसान की दलील देते हुए, 1 जनवरी 2017 से कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके वेतन संशोधन से वंचित किया जा रहा है।

अपनी असुविधाजनक स्थिति और अभाव के बावजूद; केवल कर्मचारियों और अधिकारियों की समर्पित सेवाओं और सामूहिक प्रयासों के कारण बी.एस.एन.एल. पिछले 4–5 वर्षों के दौरान परिचालन लाभ कमा रहा है।

इसके अलावा, संचार मंत्रालय द्वारा उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार के आश्वासन के आधार पर, पहले की हड़ताल को टाल दिया गया था। लेकिन, केंद्र की भाजपा सरकार ने हमेशा की तरह इस तीन दिनों की हड़ताल का सहारा लेने के लिए मजबूर करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को दिए गए आश्वासन को धोखा दिया है।

सफल हड़ताल

सभी यूनियनों और एसोसिएशनों ने ए.यू.ए.बी. के साझा मंच में एकजुट होकर संयुक्त रूप से बुलायी गयी, 18–20 फरवरी, 2019 को बी.एस.एन.एल. के कर्मचारियों और अधिकारियों की 3 दिनों की देशव्यापी हड़ताल में टेलीफोन एक्सचेंज, प्रशासनिक कार्यालय, ग्राहक सेवा केंद्र आदि तीनों दिन बंद रहे और इसके कामकाज को पूरी तरह से पंगु बना दिया। मोदीनीत भाजपा सरकार, एस्मा लागू करके भी न तो कर्मचारियों–अधिकारियों की एकता को और ना ही हड़ताल को तोड़ सकी। यह 3 दिनों की हड़ताल, बी.एस.एन.एल. को बचाने और उसके कर्मचारियों के भविष्य को बचाने के लिए संघर्षरत ए.यू.ए.बी. के संघर्षों की श्रृंखला का अगला कदम थी।

बी.एस.एन.एल. की वित्तीय व्यवहार्यता की माँग करना और कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संशोधन के लिए; पहले अधिसूचित 3 दिसंबर को शुरू होने वाली, अनिश्चितकालीन हड़ताल को, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री के आष्वासन के आधार पर स्थगित कर दिया गया था। हालांकि, सरकार ने धोखा दिया और आश्वासन को लागू न करके, कर्मचारियों–अधिकारियों को इस 3 दिनों की हड़ताल का सहारा लेने के लिए मजबूर किया।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का समर्थन

12 फरवरी को नई दिल्ली में इंटक, एटक, एच.एम.एस., सीटू, ए.आई.यू.टी.यू.सी., टी.यू.सी.सी., सेवा, एल.पी.एफ. और यू.टी.यू.सी. सहित केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) के संयुक्त मंच की एक बैठक में, 18–20 फरवरी को बी.एस.एन.एल. की 3 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को पूर्ण समर्थन देने का प्रस्ताव पारित किया और बी.एस.एन.एल. को 4 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन और शीघ्र वेतन संशोधन आदि जायज मांगों को पूरा करने के लिए बी.एस.एन.एल. कर्मचारियों और अधिकारियों के चल रहे संघर्ष; और बी.एस.एन.एल. के कर्मचारियों और अधिकारियों की हड़ताल और संघर्ष को पूर्ण समर्थन देने और एकजुटता व्यक्त करने के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन और देश के कामकाजी लोगों का आह्वान किया।

बी.एस.एन.एल. के साथ भेदभाव और वंचना

सार्वजनिक और निजी दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए खेल के स्तर की नीति को बदलते हुए, मोदी सरकार ने केवल निजी कंपनियों को 4 जी स्पेक्ट्रम आवंटित किया, बी.एस.एन.एल. को 4 जी स्पेक्ट्रम आवंटित न करके सरकार ने बी.एस.एन.एल. को पिछड़ा बनाकर और वाणिज्यिक संचालन को गंभीरता से रोककर और इसकी वित्तीय स्थिति को कमजोर करके भेदभाव किया।

दूरसंचार मंत्री ने बी.एस.एन.एल. को 4 जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने इसके लिए आवश्यक कैबिनेट की मंजूरी हासिल में तेजी लाने का आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपना वादा निभाने में विफल रहे। इसके बजाय, सरकार ने बी.एस.एन.एल. को 4 जी स्पेक्ट्रम से वंचित करने के ठोस प्रयास किए। यह नीती आयोग है जिसने आपत्ति जताते हुए कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बी.एस.एन.एल. को 4 जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने की कोई आवश्यकता नहीं है जब निजी कंपनियों को 4 जी स्पेक्ट्रम पहले ही आवंटित किया जा चुका है!

यह भेदभाव क्यों

बी.एस.एन.एल. को 4 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में यह रुकावट क्यों? क्योंकि, जबकि निजी दूरसंचार दिग्गज – वोडाफोन आइडिया और एयरटेल – अंबानी के 'जियो' के हमले के तहत ग्राहकों को खो रहे हैं; यह बी.एस.एन.एल. अपने समर्पित कार्यबल के साथ और सीमा के बावजूद, रिलायंस जियो का विरोध करने में सफल है। अक्टूबर–दिसंबर 2018 के दौरान, वोडाफोन आइडिया ने जियो को 3.5 करोड़ ग्राहक खो दिए हैं और एयरटेल के साथ भी यही स्थिति है। लेकिन, बी.एस.एन.एल. ने जियो के लिए ग्राहकों को नहीं खोया है। जनवरी 2019 में भी बी.एस.एन.एल. ने 26 लाख नए ग्राहक जोड़े थे। बी.एस.एन.एल. ने अपनी 2 जी और 3 जी प्रौद्योगिकियों के साथ यह सफलता हासिल की है। 4 जी के साथ, बी.एस.एन.एल. रिलायंस जियो के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। मोदी सरकार नहीं चाहती कि ऐसा हो।

वित्तीय रूप से अपंग बीएसएनएल

इसके अलावा, मोदी सरकार जानबूझकर रिलायंस के लाभ के लिए बी.एस.एन.एल. को वित्तीय रूप से अपंग करने की कोशिश कर रही है। रिलायंस जियो द्वारा शुरू किए गए टैरिफ युद्ध के कारण, निजी दूरसंचार दिग्गज वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को भारी नुकसान हो रहा है। इस टैरिफ युद्ध के कारण बी.एस.एन.एल. की राजस्व आय भी गंभीर रूप से प्रभावित होती है।

इसलिए, बी.एस.एन.एल. को राजस्व सृजन के लिए वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता है। बी.एस.एन.एल. का प्रस्ताव है कि अपनी भूमि प्रबंधन नीति के तहत देश के विभिन्न भागों में स्थित रु० 1,000 करोड़ से अधिक मूल्य की भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करके प्रतिवर्श 5,000 करोड़ रुपये की कमाई की गारंटी के प्रस्ताव को सरकार के डी.ओ.टी. ने ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

इस हड़ताल में इसे एक मौलिक मुद्दे के रूप में ए.यू.ए.बी. द्वारा उठाया गया था। जब बी.एस.एन.एल. का गठन किया गया था, केंद्रीय कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि सरकार के पूर्व दूरसंचार विभाग और दूरसंचार विभाग की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को बी.एस.एन.एल. को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन, केवल देनदारियों को बी.एस.एन.एल. को हस्तांतरित किया गया है, लेकिन परिसंपत्तियों को नहीं। इसलिए, बी.एस.एन.एल. की भूमि प्रबंधन नीति को मंजूरी देने की माँग करते हुए, ए.यू.ए.बी. ने यह भी माँग की है कि सभी परिसंपत्तियों को तुरंत बी.एस.एन.एल. को हस्तांतरित किया जाए।

भाई–भतीजा पूँजीवाद की पराकाष्ठा – जियो को मोदी सरकार का पिछले दरवाजे से समर्थन

पूरे दूरसंचार बाजार को हथियाने में सक्षम बनाने के लिए, रिलायंस जियो को पिछले दरवाजे से सभी प्रकार का समर्थन प्रदान करते हुए, मोदी सरकार बी.एस.एन.एल. को वित्तीय रूप से अपंग करने के सभी प्रयास कर रही है। वोडाफोन आइडिया का कुल कर्ज 1.20 लाख करोड़ रुपये और एयरटेल का 1.13 लाख करोड रुपये है। जबकि आज की तारीख में बी.एस.एन.एल. का ऋण केवल रु० 13,000 करोड़ है। फिर भी, निजी दूरसंचार कंपनियां बैंक ऋण के रूप में जनता के पैसे का खुलकर लाभ उठा रही हैं; लेकिन डीओटी ने वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए बैंक ऋण लेने के बी.एस.एन.एल. के प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी है। इस प्रकार, सरकार का गेम प्लान बी.एस.एन.एल. को मौत के घाट उतारने को सुनिश्चित करना है। इसलिए, ए.यू.ए.बी. ने माँग की है कि डीओटी को बी.एस.एन.एल. को बैंक ऋण लेने की अनुमति देनी चाहिए।

सरकार द्वारा बी.एस.एन.एल. फंड सोखना

मौजूदा नियम के अनुसार, कर्मचारियों के पेंशन का अंशदान, बी.एस.एन.एल. को कर्मचारियों के वास्तविक मूल वेतन पर सरकार को का भुगतान करना है। इसके बजाय, बी.एस.एन.एल. से अधिक धन निकालने के लिए, सरकार बी.एस.एन.एल. के पेंशन अंशदान को अधिकतम वेतनमान पर गणना कर रही है, इस प्रकार 2007 के बाद से बी.एस.एन.एल. से 2,200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त संग्रह किया जा रहा है। ए.यू.ए.बी. ने सरकार से बी.एस.एन.एल. को यह राशि वापस करने और पेंशन की गणना करने और भविश्य में केवल कर्मचारियों के वास्तविक मूल वेतन पर गणना की माँग की है।

वेतन संशोधन से वंचित

बी.एस.एन.एल. के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन 2017 से बकाया है। फिर भी, सरकार इस दलील पर वेतन संशोधन से इनकार करती है कि बी.एस.एन.एल. नुकसान उठा रही है। बी.एस.एन.एल. को घाटे में धकेलने के लिए सब कुछ करने के बाद, सरकार का कहना है कि कर्मचारी इस घाटे के कारण वेतन संशोधन के लिए पात्र नहीं हैं। बी.एस.एन.एल. से सेवानिवृत्त और केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त दोनों ही सीसीएस पेंशन नियम 1972 द्वारा कवर किए जाते हैं। फिर भी, केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त लोगों को पहले से ही उनके पेंशन संशोधन मिल चुके हैं, वही बी.एस.एन.एल. से सेवानिवृत्त लोगों को मना किया जा रहा है।

बी.एस.एन.एल. के 1.7 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों की सफल 3 दिनों की हड़ताल बी.एस.एन.एल. की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने और अपने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संशोधन की मांगों को निपटाने के लिए सरकार को शीघ्रता से कदम उठाने की चेतावनी थी। ए.यू.ए.बी. इन माँगों को आगे बढ़ाने के लिए अपने संघर्षों को तेज करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

(पी. अभिमन्यु बी.एस.एन.एल. कर्मचारी संघ के महासचिव हैं)

योजना मजदूर

एमडीएम. मजदूरों की संसद के समक्ष अखिल भारतीय रैली

सीटू, एटक, ए.आई.सी.सी.टी.यू., ए.आई.यू.टी.यू.सी. और अन्य यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित; हजारों मिड डे मील (एमडीएम) मजदूरों ने एक राष्ट्रीय रैली का आयोजन 8 फरवरी को नई दिल्ली के जंतर मंतर में संसद के सामने किया और अपनी वेतन वृद्धि में आश्वासन देकर और केंद्रीय बजट 2019 में ऐसा कोई भी प्रस्ताव न करके मोदी सरकार द्वारा किए विश्वासघात के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

सितंबर, 2018 में जब प्रधानमंत्री ने आंगनवाड़ी और आशा कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा की, तो एमडीएम मजदूरों की अनदेखी की गई। एमडीएम मजदूरों ने 19 नवंबर को संसद के समक्ष विरोध मार्च का आयोजन किया और एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला, जिन्होंने कहा कि हालांकि यह सरकार के एजेंडे में था लेकिन गैर इरादतन चूक हुई है; और केंद्रीय बजट 2019 में उनकी वेतन वृद्धि का आश्वासन दिया। (वर्किंग क्लास, दिसंबर 2019)

इस दूसरे विश्वासघात के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के आयोजन का समापन 8 फरवरी को संसद के समक्ष विरोध रैली में किया गया। रैली को सीटू के राष्ट्रीय सचिव ए.आर. सिंधु, सीटू के मिड डे मील वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव जयभगवान, एटक के सचिव वी.एस. गिरी, ए.आई.यू.टी.यू.सी. के आर.के.शर्मा और ए.आई.सी.सी.टी.यू. के एक नेता ने सम्बोधित किया।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जाबेड़कर ने यूनियनों के नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। जय भगवान, राजीव डिमरी, फ्लोमिना जॉन, शहनाज, आर.के. शर्मा सहित 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने डी. राजा सांसद (सीपीआई) के नेतृत्व में मंत्री से मुलाकात की। मंत्री ने इस मामले को कैबिनेट में उठाने और इसके सकारात्मक परिणाम का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के हड़ताली एमडीएम मजदूरों के बारे में भी चर्चा की। मंत्री ने उस मुद्दे पर भी अपने हस्तक्षेप का आश्वासन दिया।

केंद्रीय मंत्री को संयुक्त ज्ञापन में 12 सूत्री माँगों में पारिश्रमिक में तत्काल वर्षद्धि; 45वीं और 46वीं आई.एल.सी. की सिफारिषों का कार्यान्वयन – मजदूरों के रूप में मान्यता, न्यूनतम वेतन रु० 18,000/; सामाजिक सुरक्षा; छटनी किए गए मजदूरों की बहाली; उचित आधारभूत ढ़ाँचा; कोई निजीकरण नहीं, कोई केंद्रीकृत रसोई नहीं; मृत्यु के मामले में क्षतिपूर्ति और चिकित्सा लाभ; शिकायत निवारण समितियाँ; बजट का पर्याप्त आवंटन आदि शामिल हैं।

लगभग 25 लाख एमडीएम मजदूर हैं जिनमें से 98% सामाजिक रूप से उत्पीड़ित और आर्थिक रूप से गरीब तबके से हैं। प्रत्येक एमडीएम मजदूर को वर्ष 2009 से केवल 1000 रुपये मासिक 'मानदेय', वह भी एक साल में 10 महीने के लिए ही दिया जाता है।

ए.आई.एफ.ए.डब्ल्यू.एच. का संसद मार्च

40 लाख हस्ताक्षर सौंपे

14 राज्यों से आने वाले 5,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों ने 25 फरवरी को संसद के सामने अपने सीटू महासंघ ए.आई.एफ.ए.डब्ल्यू.एच. के बैनर तले विरोध मार्च किया। मंडी हाउस से मार्च का नेतृत्व सीटू महासचिव तपन सेन, अध्यक्ष के. हेमलता और ए.आई.एफ.ए.डब्ल्यू.एच. के महासचिव ए आर सिंधु, अध्यक्ष उषारानी, कोषाध्यक्ष अंजू मैनी ने किया; और अपनी माँगों को लेकर केंद्र सरकार को ज्ञापन पर देष भर से एकत्र किए गए आंगनवाड़ी कर्मचारियों और लाभार्थियों के 40 लाख हस्ताक्षर 100 लाल स्वयंसेवकों द्वारा ले जाए गए।

मार्च का समापन जंतर–मंतर पर पुलिस की मोर्चाबंदी से पहले एक रैली और जनसभा में हुआ। उषारानी की अध्यक्षता में आम सभा का उद्घाटन तपन सेन द्वारा किया गया था और के. हेमलता, सिंधु, वीणा गुप्ता और विभिन्न राज्यों के आंगनवाड़ी कर्मचारी नेताओं द्वारा संबोधित किया गया था।

ए.आर. सिंधु, उषारानी, कैलाश और शकुंतला को मिलाकर एक प्रतिनिधिमंडल डब्ल्यूसीडी मंत्रालय के सचिव से मिला और नियमितीकरण, न्यूनतम वेतन रु० 18,000 प्रति माह और पेंशन 6,000 रुपये; आईसीडीएस को मजबूत करने के लिए, आईसीडीएस में सीधे नकद हस्तांतरण की शुरूआत के खिलाफ; मौजूदा लाभ आदि का गैर कार्यान्वयन सहित लंबित बुनियादी मांगों के बारे में लगभग 40 लाख हस्ताक्षर वाला ज्ञापन प्रस्तुत किया।

प्रधान मंत्री द्वारा बहुत अधिक धूमधाम के साथ पारिश्रमिक में वृद्धि की घोषणा को देश के अधिकांश हिस्सों में लागू किया जाना बाकी है। यहाँ तक कि वर्तमान बजट में आईसीडीएस को आवंटित राशि, पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लागत को कवर करने के लिए अपर्याप्त है।

सभा में, भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बच्चों के अधिकार और कर्मचारियों के न्यूनतम मजदूरी और पेंशन के अधिकार के तौर पर, और पूर्ण सुविधाओं के साथ आईसीडीएस के संस्थागतकरण करने माँग तथा जनता के मुद्दों के रूप में आईसीडीएस मुद्दों को उठाने की घोषणा की गयी; और आने वाले संसदीय चुनाव में सांप्रदायिक, आईसीडीएस विरोधी, मजदूर विरोधी भाजपा सरकार की हार सुनिश्चित करके जनविरोधी नीतियों को बदलने के लिए काम करने का फैसला किया। इसके लिए, ए.आई.एफ.ए.डब्ल्यू.एच. ने भाजपा सरकार की नीतियों के प्रतिकूल प्रभाव और इस सरकार को हराने की आवश्यकता पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बीच 20 लाख पर्चे और लाभार्थियों के बीच एक करोड़ पर्चे वितरित करने का निर्णय लिया।

रेलवे

लोको मेन्स का संसद पर अखिल भारतीय मार्च

ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (एआईएलआरएसए) द्वारा आयोजित, देश भर से भारतीय रेलवे के 17 जोनों के 68 डिवीजनों से आने वाले, भारतीय रेलवे के 4000 से अधिक लोको रनिंग स्टाफ ने अपने परिवारों के साथ, 18 फरवरी को अम्बेडकर ऑडीटोरियम नई दिल्ली से संसद की ओर अपना विरोध मार्च शुरू किया, जो संसद के सामने जंतर मंतर पर पुलिस बैरिकेड पर एक रैली और आम सभा में बदल गया।

यह विरोध मार्च और रैली, लोको मैन्स की पांच मांगों – आर.ए.सी.आई. 1980 फॉमूले के अनुसार रनिंग भत्ता की तत्काल मंजूरी; 2016 से पहले और बाद के सेवानिवृत्त लोगों के बीच पेंशन की समता; सभी को एनपीएस और वैधानिक पेंशन की वापसी; एचपीसी रिपोर्ट का कार्यान्वयनय और रेलवे के निजीकरण को रोकने के लिए आदि के अनुसरण में आयोजित की गई।

बैठक को मुख्य वक्ता के रूप में सीटू महासचिव तपन सेन ने संबोधित किया। ए.आई.एल.आर.उस.ए. के महासचिव एम.एन. प्रसाद, एन.एफ.आई.आर. के महासचिव राघवैया और एन.एफ.पी.ई. के नेता गिरिराज सिंह ने भी संबोधित किया।

लोको मैन्स के खिलाफ भेदभाव और उनकी न्यायोचित माँगों के बारे में बताते हुए एमएन प्रसाद ने कहा कि अगर सरकार 31 मार्च, 2019 तक आर.ए.सी.आई. 1980 फॉमूले के अनुसार लोको स्टाफ के भत्ते को मंजूरी देने में विफल रही, तो रेलगाड़ियों के पहिये उस तारीख से रोक दिए जाएंगे जो ए.आई.एल.आर.उस.ए. द्वारा अधिसूचित की जाएंगी। ।

रेलवे कर्मचारियों के बीच, देशभर के रेलवे नेटवर्क पर दिन–रात में ट्रेनों को चलाने में उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद, लोको रनिंग स्टाफ में भेदभाव किया जा रहा है और उनके साथ कई बार विश्वासघात किया गया है। लोको मैन्स के भत्ते 7वीं सीपीसी की सिफारिश पर अमल न करना, जबकि 19 महीने पहले केंद्र सरकार के अन्य 35 लाख कर्मचारियों के लिए इसे लागू किया गया। यह बताया गया है कि रेलवे बोर्ड ने पहले ही 7वें सीपीसी द्वारा निर्देषित वेतन और टीए का 30% के रूप में भत्ता देने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है; लेकिन वित्त मंत्रालय इसकी मंजूरी को रोक रहा है।

लोको रनिंग स्टाफ साप्ताहिक अवकाश; लगातार दो रात की ड्यूटी को सीमित करना; उचित ग्रेड पे के लिए भी लड़ रहा है। इनके अभाव में, लोको रनिंग स्टाफ आम तौर पर अपने सामाजिक दायित्वों और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। रेलवे अधिकारी, जो सप्ताह में 40 घंटे अपने कार्यालय में काम करते हैं, लोको रनिंग स्टाफ के लिए 52 घंटे का सप्ताह तैयार कर रहे हैं जो कि विषम परिस्थितियों में काम करते हैं और रेलवे में बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित हैं।

सीमेंट

त्रिपक्षीय राष्ट्रीय वेतन समझौता हस्ताक्षरित

जून 18–जनवरी 19' के दौरान, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सी.एम.ए.) और इन्टक, एटक, बी.एम.एस., एच.एम.एस., सीटू और एल.पी.एफ. आदि छह केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) के राष्ट्रीय सीमेंट उद्योग संगठनों के बीच नौ दौर की द्विपक्षीय चर्चा के बाद सीमेंट मजदूरों के लिए एक राष्ट्रीय वेतन समझौते पर 21 जनवरी, 2019 को चेन्नई में हस्ताक्षर किए गए। जिसमें सीटू का प्रतिनिधित्व सीमेंट वर्कर्स यूनियनों के संयोजक निशीथ चौधरी, के. प्रकाश कुमार और कालू राम सुथार ने किया।

इस द्विपक्षीय समझौते के आधार पर, 20 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में सीएलसी (सी) की उपस्थिति में सीमेंट उद्योग के मजदूरों के लिए 7वें राष्ट्रीय त्रिपक्षीय वेतन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। निजी क्षेत्र में यह एकमात्र उद्योगवार राष्ट्रीय त्रिपक्षीय वेतन समझौता है।

यह समझौता सभी स्थायी मजदूरों के लिए लागू होता है, जिसमें पीसने वाली इकाइयां भी शामिल हैं; और ठेका मजदूरों के लिए भी जो लोडिंग (पैकेजिंग सहित) और अनलोडिंग में लगे हुए हैं। 4 साल का यह समझौता 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रहेगा।

समझौते का वार्षिक लाभ रु० 2500 प्रति माह होगा जिसमें से रु० 750 मूल वेतन में और शेष राशि, शैक्षिक, यातायात, आवधिक और एलटीए भत्ते में और यह 1 अप्रैल, 2018 प्रभावी होगा। एक और रु० 2500 प्रति माह की वृद्धि 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा जो मूल वेतन और भत्ते के समरुप घटकों में विभाजित होगी। तदनुसार, मौजूदा मूल वेतनमान को संशोधित किया जाएगा। 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी मूल वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि के प्रत्येक स्लैब में रु० 20 को जोड़ा जाएगा।

1 अप्रैल 2018 को 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर एक वेतन वर्षद्धि और 20 साल की सेवा पूरी करने पर 2 वेतन वृद्धि जोड़कर वरिष्ठता सूची तैयार होगी।

1 अप्रैल 2018 को ए.आई.सी.पी.आई. अंक 6550 (1960 की श्रृंखला) पर आंके गए मौजूदा वीडीए को मौजूदा एफडीए के साथ विलय कर दिया जाएगा और एफडीए संशोधित हो जाएगा। इसी तरह, 1 अप्रैल 2020 को भी वीडीए को संशोधित एफडीए के साथ मिला दिया जाएगा।

वी.डी.ए. की दर 1 अप्रैल 2018 से, ए.आई.सी.पी.आई. (1960) के 3 महीने के औसत अंकों पर और रु० 2.55 की दर से संशोधित किया गया है।

सेवाशर्तों में शेष मौजूदा लाभ जारी रहेंगे; और बेहतर लाभ, यदि कोई अन्य प्रावधान (कानून सहित) के तहत है तो, इस समझौते से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

समझौते के लाभों का बकाया दो समान किस्तों में – एक 31 मार्च के भीतर और दूसरा 31 जुलाई, 2019 के भीतर भुगतान किया जाएगा।

भाग लेने वाले केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों ने शेष ठेकाकर्मियों जिन्हें समझौते में कवर नहीं किया गया है, के लिए समझौते के लागू होने/लाभ के विस्तार के लिए अपने हस्तक्षेप के लिए सी.एल.सी. (सी.) को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा। सी.एल.सी. (सी.) ने कहा कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है और वह जल्द ही इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। (द्वारा: निशीथ चौधरी)

सुरक्षा नदारद

सिंदरी के सीमेंट प्लांट में 3 मजदूर जिंदा दफन

झारखंड के सिंदरी में स्विट्जरलैंड की बहुराष्ट्रीय कंपनी लाफार्जहोल्सीम के स्वामित्व वाले एसीसी सीमेंट संयंत्र में प्रबंधन द्वारा सुरक्षा मानदंडों के घोर उल्लंघन के कारण दुर्घटना में पिछले साल 24 जनवरी को तीन मानव जीवन समाप्त हो गए थे। प्लांट के पैकिंग डिवीजन की खत्ती की सफाई करते समय आसपास के गाँवों के गोपाल पाल सिंह, अजीत सिंह और निमाई मंडल, उनके ऊपर गिर रहे सीमेंट के ढेर के कारण जिंदा दफन हो गए। ये तीनों ही ठेकेदार टेक्नो इंजीनियरिंग द्वारा नियुक्त ठेका मजदूर थे। उनके शवों को सीमेंट के ढेर से निकाला गया और अगले दिन अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।

जैसे ही तीन मजदूरों की मौत की खबर फैली, हजारों मजदूर और ग्रामीण फैक्ट्री गेट के पास इकट्ठे हो गए और सुरक्षा मानकों की अनुपस्थिति जो मजदूरों की मौत का कारण बना, के लिए प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अंततः, प्रबंधन ने मृतक के प्रत्येक आश्रित को मुआवजे और नौकरी के रूप में 12 लाख रुपये देने की घोषणा की।

लेकिन, मानव जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले सुरक्षा मानदंडों की अनुपस्थिति के लिए कोई जवाबदेही नहीं थी। 'अनजाने में हुई हत्या' की कोई एफआईआर नहीं हुई। सीटू की सीमेंट उद्योग में यूनियनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने अपनी संवेदना व्यक्त की और मजदूरों की मृत्यु के लिए सीमेंट उद्योग में बहुराष्ट्रीय महाकाय कंपनी को जिम्मेदार ठहराया।

लाफार्जहोल्सीम 63.62% शेयरों के साथ अंबुजा सीमेंट को नियंत्रित करता है और अंबुजा सीमेंट के माध्यम से एसीसी में 54.5% शेयरों के साथ नियंत्रित किया हुआ है।

आईटी

आई.टी. और आई.टी.ई.एस. कर्मचारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन

सीटू की पहल पर 10 फरवरी को चेन्नई में आईटी और आईटीईएस कर्मचारियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में आईटी और आईटीईएस कर्मचारी यूनियनों के 180 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए, सीटू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के. हेमलता ने सीटू केंद्र द्वारा की जा रही पहल और भारत में आईटी और आईटीईएस कर्मचारियों को यूनियनों में संगठित करने की आवश्यकता के बारे में बताया। सीटू के राष्ट्रीय सचिव ए.आर. सिंधु और इसकी तमिलनाडु राज्य कमेटी के उपाध्यक्ष आर. सिंगारवेलु ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में नवंबर 2018 में गूगल एम्पलाईज वॉकआउट के आयोजकों में से एक और डब्ल्यूएफटीयू के महासचिव जॉर्ज माव्रिकोस द्वारा बधाई दी गई।

के.सी. गोपीकुमार ने उद्योग की स्थिति और कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति पर पृष्ठभूमि दस्तावेज प्रस्तुत किया। केरल के ए.आई.टी.ई., कर्नाटक के के.आई.टी.यू., पश्चिम बंगाल के ए.आई.आई.टी.ई., तेलंगाना के एफ.ओ.आर.आई.टी., तमिलनाडु के यू.एन.आई.टी.ई. और महाराष्ट्र के आईटी यूनियन आदि आईटी और आईटीईएस कर्मचारी संगठनों ने आईटी और आईटीईएस क्षेत्र में गतिविधियों और हस्तक्षेपों पर अपनी रिपोर्ट पेश की। तमिलनाडु के टी. बारानिधरन ने 4.0 क्रांति पर एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जो आईटी उद्योग को प्रभावित करने वाला है।

भारत में नौकरी के नियमितीकरण और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए न्यूनतम मजदूरी की माँग पर एक प्रस्ताव, तमिलनाडु की जयलक्ष्मी द्वारा पेश किया गया और केरल के जयन द्वारा समर्थित को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। सम्मेलन ने आईटी और आईटीईएस कर्मचारियों की एक राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन किया, जिसमें के.सी. गोपीकुमार को संयोजक के साथ 35 सदस्य हैं।

सीटू के महासचिव तपन सेन ने अपने समापन भाषण में आईटी और आईटीईएस के कर्मचारी यूनियनों के राष्ट्रीय समन्वय के गठन का स्वागत किया और इसको मजबूत करने और नौकरी की बेहतर सुरक्षा, अटकलबाजी, छटनी की समस्या, सम्मानजनक नौकरी और सभ्य कामकाजी परिस्थितियों आदि कर्मचारियों की माँगों को आगे बढ़ाने में सीटू का समर्थन दिया।

अधिवेशन की अध्यक्षता कर्नाटक आईटी यूनियन के अध्यक्ष वी.जे.के. नायर ने की। (द्वारा: के.सी. गोपीकुमार)

सड़क परिवहन

ए.आई.आर.टी.डब्ल्यू.एफ. की संगठनात्मक कार्यशाला

सीटू के ए.आई.आर.टी.डब्ल्यू.एफ. (ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेषन) की एक संगठनात्मक कार्यशाला 21–22 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली के पी.आर. भवन में आयोजित की गई, जिसमें 16 राज्यों के राष्ट्रीय पदाधिकारियों सहित 36 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए, सीटू महासचिव तपन सेन ने संगठन को मजबूत करने ; सभी स्तरों पर लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली को लागू करने के लिए; सदस्यों, कैडरों और नेतृत्व को, नीतियों और नीतियों के पीछे की राजनीति के बारे में शिक्षित करने और धन जुटाने तथा उसका उचित लेखा–जोखा रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। इन चार मुद्दों को प्रभावी ढंग से लागू करके, मजदूर संगठन को अपना सकते हैं और समाज को बदलने की आवश्यकता को समझ सकते हैं।

ए.आई.आर.टी.डब्ल्यू.एफ. के महासचिव और सीटू के राष्ट्रीय सचिव के.के. दिवाकरन ने (1) संगठन का विस्तार, (2) डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, (3) राजनीतिक और वैचारिक शिक्षा और (4) फंड और वित्तीय प्रबंधन; चार विषयों पर दस्तावेज प्रस्तुत किए। प्रतिनिधियों ने 3 समूहों में प्रत्येक विषय पर चार अलग–अलग सत्रों में चर्चा की और प्रत्येक पूर्ण सत्र में समूहों की रिपोर्ट को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया।

समापन सत्र में, एक तात्कालिक काम के मामले में दस्तावेज दिवाकरन द्वारा रखा गया था। प्रतिनिधियों ने चर्चा की और सर्वसम्मति से इसे अपनाया गया। इनमें शामिल हैं (1) ए.आई.आर.टी.डब्ल्यू.एफ. के दिल्ली कार्यालय का कार्य 1 फरवरी से पी. राममूर्ति भवन में शुरु; (2) हिंदी भाषी राज्यों के नेतृत्व के लिए क्षेत्रीय कक्षाएं जून में दिल्ली में आयोजित करना; (3) वर्तमान एनडीए सरकार द्वारा अपनाई गई गलत नीतियों का पर्दाफास करने के लिए जोरदार स्वतंत्र एवं एकजुट अभियान चलाना और उद्योग एवं मजदूरों के संरक्षण के लिए इस सरकार को बदलने की आवश्यकता; (4) अगस्त 2019 से पहले सभी राज्यों में संगठनात्मक कार्यशालाएँ आयोजित करना; और (5) निर्णय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों में 20 फरवरी से पहले राज्य कमेटियों की बैठकें आयोजित करना। (द्वारा: आर. लक्ष्मैया)

ई.पी.एफ.ओ. ब्याज दरों पर नवउदारवादी हमला

21 फरवरी, 2019 को केंद्रीय श्रम मंत्रालय के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अपने 6 करोड़ ईपीएफ ग्राहकों की जमा राशि पर ब्याज दर के रूप में 8.65% की घोषणा की। 1989–2001 के दौरान ईपीएफ ब्याज दर 11 वर्षों तक स्थिर रही। फिर जैसे ही मजदूरों की बचत पर नवउदारवादी हमला हुआ तो, बीजेपी के शासन के दौरान सबसे पहली गिरावट आई और उसके बाद केंद्र में कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों के दौरान इसे आगे बढ़ाया गया।

समय अवधि	ब्याज दरें (%में)
1989-2001	12.00
2001-2005	09.50
2005-2010	08.50

फिर ईपीएफ ब्याज दरों में 2010 के बाद से बाजार में उतार–चढ़ाव के साथ वार्षिक उतार–चढ़ाव षुरू हुआ।

वित्तीय वर्ष	ब्याज दरें (%में)
2010-11	09.50
2011-12	08.25
2012-13	08.50
2013-14	08.75
2014-15	08.75
2015-16	08.80
2016-17	08.65
2017-18	08.55
2018-19	08.65

राज्यों से

तमिलनाडु

केमप्लास्ट मजदूरों का बहादुराना संघर्ष

तमिलनाडु के सलेम जिले के मेट्टुर में पी वी सी रेजिन्स बनाने वाले बहुराष्ट्रीय सेनमार समूह के केमप्लास्ट संयन्त्र 3 में 60 स्थायी मजदूरों व सैकड़ों ठेका मजदूरों के साथ पिछले 3 वर्ष से ' इंटर्नस ' के नाम पर 110 प्रशिक्षुओं को लगाया हुआ है। प्रबंधन ने इन इंटर्नस को नियमित व स्थायी कामों में लगा रखा है जहाँ वे नियमित मजदूरों के साथ आपेरशनों व मेंटनेन्स की स्वतंत्र भूमिका में काम करते हैं। लेकिन, इन्हें एकमुश्त मात्र 9500 रुपये प्रतिमाह दिये जाते हैं जबकि स्थायी मजदूरों को स्केल की शुरुआत में ही 50,000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं।

बेहतर वेतन व सेवा शर्तों तथा रोजगार को नियमित किये जाने की माँग करते हुए ये इंटर्न सीटू यूनियन में आये और यूनियन ने उनकी माँगों को लेकर एक माँगपत्र दिया। आगबबूला हुए प्रबंधन ने सीधे ही 5 नेतृत्वकारी मजदूरों को बर्खास्त कर दिया। मामला समाधान ने लिए लंबित है। यूनियन ने 8–9 जनवरी की दो दिवसीय हड़ताल में शामिल होने के लिए नोटिस दिया जिसपर 94 इंटर्न मजदूर देश के शेष मजदूरों के साथ हड़ताल में शामिल हुए। बदले की कार्रवाई में केमप्लास्ट प्रबंधन ने इन मजदूरों को 10 जनवरी को सुबह काम पर लगने के लिए प्लांट में नहीं आने दिया और इन सभी को फैक्टरी गेट पर ही बर्खास्त किये जाने का आदेश सुनाना चाहा। यूनियन ने तुरन्त ही मामले को ए एल सी के समक्ष उठाया जिसने 10 जनवरी को ही विवाद को समाधान के लिए दाखिला कर लिया और प्रबंधन को मजदूरों को तुरंत बहाल करने की सलाह दी। इसके बाद 5 चक्रों की समझौता बातचीत हो चुकी है लेकिन प्रबंधन ने ए एल सी सलेम की सलाह को मानने से इन्कार किया है।

मजदूर दिन–रात,गर्मी–सर्दी में प्लांट के गेट के सामने बैठे हुए हैं। प्रबंधन ने पुलिस की मद्द से मजदूरों को फैक्टरी गेट के बाहर से हटाने की कोशिश की। पुलिस ने 16 जनवरी को नोटिस जारी किया लेकिन मजदूरों ने हटने से इनकार कर दिया और उनका प्रतिरोध जारी है।

प्रबंधन ने फैक्टरी गेट से मजदूरों को हटाने के लिए चेन्नै उच्च न्यायालय में याचिका दायर कीं इस पर उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को पुलिस को निर्देश दिया वह फैक्टरी गेट के पास ही ऐसे स्थान की पहचान करें जहाँ मजदूर अपनी आजीविका को बचाने के आंदोलन को जारी रख सकें। उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को उत्पीड़ित को मजदूरों को बहाल किये जाने को लेकर दाखिल की गई एक याचिका का सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

केमप्लास्ट मजदूरों के संघर्ष को ट्रेड यूनियनों व जनता का व्यापक समर्थन मिला है और एकजुटता कार्रवाईयां हुई हैं। प्रतिदिन सीटू यूनियन के कैडर संघर्षरत मजदूरों के साथ एकजुटता दिखाने फैक्टरी गेट पर जमा होते है। मजदूरों को हर दिन भोजन के लिए अलग से प्रबंध किया गया है। सीटू यूनियनें; ए आइ ई ए,बी एस एन एल तथा सरकारी,बिजली,परिवहन,स्टील जैसे बिरादराना संगठनों व एडवा,डीवाइ एफ आई, खेतमजदूर यूनियन व अखिल भारतीय किसान सभा जैसे जनसंगठन, प्रगतिशील लेखकों व कलाकारों की ऐसोसिएशनों,मेट्टुर के छोटे दुकानदारों व व्यक्तियों ने आगे आकर संघर्ष कोष में योगदान दिया है।

संघर्षरत केमप्लास्ट मजदूरों की एकजुटता में,सीटू राज्य कमेटी ने 29 जनवरी व 21 फरवरी को सरकार से हस्तक्षेप कर केम्प्लास्ट प्रबंधन को उसकी मजदूर विरोधी कार्रवाईयॉ बंद करने और ए एल सी की सलाह मानने को बाध्य करने की माँग की माँग करते हुए राज्यव्यापी प्रदर्शन किये।

10 जनवरी के बाद से, मजदूर फैक्टरी गेट के बाहर धरने पर हैं। 5 फरवरी को मेट्टुर में एक जिला स्तरीय जन भूखहड़ताल की गई जिसमें सीटू के राज्य अध्यक्ष सौन्दरराजन भी शामिल हुए। 6 फरवरी से 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। (योगदान: के सी गोपी कुमार व पनीर सेल्वन)

मजदूरों–किसानों की एकता

महाराष्ट्र में दूसरा किसान लॉन्ग मार्च

6–12,2018 को हुए पहले किसान लॉग मार्च के लगभग एक वर्ष के बाद अखिल भारतीय किसान सभा की महाराष्ट्र कौंसिल ने गोविंद पानसरे की शहादत की वर्षगाँठ, 20 फरवरी को नासिक से विशाल दूसरा किसान लॉग मार्च शुरु किया जिसे 27 फरवरी को चन्द्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर मुंबई में अपने चरम पर पहुँचना था। इस बीच राज्य विधान सभा का बजट सत्र भी था जो 25 फरवरी को शुरु होना था।

इस लॉग मार्च में 50,000 से ज्यादा किसानों के शामिल होने की उम्मीद थी जो पिछले लॉग मार्च से दो गुना होता। इसमें अधिकतर संख्या नासिक, थाणे, पालघर व अहमदनगर जिलों से थी और मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तरमहाराष्ट्र व कोंकण क्षेत्रों से भी किसानों का प्रतिनिधित्व था।

मार्च का उद्देश्य

अखिल भारतीय किसान सभा ने किसानों व खेतमजदूरों के साथ जो भीषण कृषि संकट का सामना भाजपा की राज्य केन्द्र सरकार द्वारा वादे पूरे न कर किये विश्वासघातक भर्त्सना के लिए इस मार्च के तीन स्पष्ट उद्देश्य तय किये थे।

पहला यह कि पिछले वर्ष भाजपा की राज्य सरकार द्वारा मानी गयीं और लिखित में विधानसभा के समक्ष रखी गई माँगों के खराब कियान्वयन,एक भी समीक्षा बैठक न किये जाने,वन–अधिकार अधिनियम को लागू न किये जाने; तथा घोषित 34,000 करोड़ के पैकेज में पूर्ण कर्ज माफी न देने; तथा लाभकारी मूल्य देने व पेंशन में वृद्धि आदि में असफल रहने के लिए सरकार की निंदा करना।

लॉग मार्च का दूसरा उद्देश्य सूखे की उस गंभीर स्थिति को सामने लाना था जिसका सामना इस वर्ष आधा महाराष्ट्र कर रहा है। किसान सभा पीने के पानी, भोजन, मनरेगा के तहत रोजगार, चारे, फसल के नुकसान के लिए मुआवजा, किसानों के लिए एक विस्तृत फसल बीमा योजना (कारपोरेट बीमा कंपनियों की नहीं) तथा युद्ध स्तर पर दूरगामी कदम जैसे अधूरे पड़ी सिंचाई योजनाओं को पूरा करना तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के अरब सागर में चले जाने वाले पानी को मोड़कर महाराष्ट्र के बराबर सूखा झेलने वाले इलाकों में पहुँचाने पर ध्यान केन्द्रित कराना है।

तीसरा उद्देश्य भाजपा की मोदीनीत केन्द्र सरकार के 2014 में किसानों के लिए संपूर्ण कर्ज माफी तथा समूची उत्पादन लागत का डेढ़गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (सी 2 जमा 50 प्रतिशत) जैसा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है के वादों को पूरा करने में असफल रहने के लिए सरकार को आईना दिखाना, उसका विरोध करना है।

किसानों को कर्जमाफी से वंचित करने वाली मोदी सरकार को अपने चहेते कारपोरेटों को लाखों करोड़ रुपये की कर्जमाफी देने में कोई हिचक नहीं। पिछले बजट में पाँच एकड़ से कम वाले किसानों को 2000रु प्रति किस्त के हिसाब से तीन किस्तों में एक वर्ष में 6000 रुपये का प्रावधान कुल मिलाकर मात्र 3.33 रुपये प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन का बैठता है। इससे भी लाखों भूमिहीन खेतमजदूरों को; काश्तकारो, आदिवासी किसानों जिन्हें वन अधिकार कानून के तहत अभी तक जमीन नहीं दी गयी; व सूखी भूमि वाले किसानों, जिनके पास अक्सर पाँच एकड़ से ज्यादा जमीन होती है, को वंचित रखा गया है।

भाजपा सरकार का मनरेगा को नजरंदाज करना सभी को पता है। इसकी जबरन भूमि अधिग्रहण की नीतियों का किसानों के द्वारा प्रतिरोध किया जा रहा है।

मार्च के लिए तैयारी

इस लॉग मार्च के लिए सघन व विस्तष्त तैयारियॉ की गई। 4 फरवरी को हुए भारी उपस्थिति वाले किसान सभा के नासिक जिला कन्वेंशन को ए.आई.के.एस. के अध्यक्ष अशोक धवले, ए.आई.के.एस. के पूर्व राज्य अध्यक्ष जे पी गावित, विधायक, राज्य अध्यक्ष किशन गुजर व महासचिव डॉ. अजित नवले, राज्य सह सचिव सुनील मालुसरे तथा सीटू राज्य अध्यक्ष डॉ० डी.एल. कराड ने संबाधित किया।

6 फरवरी को 1500 की मजबूत उपस्थिति वाला थाने–पालघर जिला किसान कन्वेंशन तलासरी में हुआ जिसे अशोक धवले, जे पी गावित, किशन गुजर, सुनील मालुसरे, एडवा की महासचिव मरियम ढवले, किसान सभा के नेताओं बरक्या मंगत, रतन बुधार, एल बी धागंर व लहानु कोम, पूर्व सांसद व पूर्व एम एल ए ने संबोधित किया।

11 फरवरी को अहमदनगर जिला कन्वेंशन अकोले में हुआ जिसे डॉ अजित नवले, सदाशिव सबेल व नामदेव भांगरे ने संबोधित किया। ऐसी ही तैयारियॉ कई अन्य जिलों में भी की गयीं।

सी.पी.आई. (एम), सीटू व पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी (पी डब्लयू पी) की राज्य समितियों ने समर्थन करते हुए चंदे से भी मद्द करने का फैसला किया। सीटू, खेतमजदूर यूनियन, एडवा, डी.वाई.एफ.आई. व एस.एफ.आई. के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भी मार्च में शामिल होने का फैसला किया।

मार्च को रोकने की सरकार की कोशिश

ए.आई.के.एस. के नेतृत्व में दूसरे किसान लॉंग मार्च को रोकने के लिए हड़बड़ाई सरकार ने दमन का सहारा लिया। अहमदनगर में जहाँ सरकार से सभी तरह की मंजूरियों के बाद 13 फरवरी को एक विशाल किसान कन्वेंशन हुआ था, पुलिस ने ए.आई.के. एस. के राज्य महासचिव डॉ अजित नवले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की भरसक कोशिश की। पुलिस स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी कई जगहों पर मार्च में भाग लेने से रोकने के लिए धमकाया। पुलिस ने थाणे–पालघर से किसानों को नासिक पहुँचने से रोकने की भी कोशिश कीं। किसान सभा के केन्द्र ने किसानों के जनवादी व शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने की कोशिश के लिए महाराष्ट्र सरकार की भर्त्सना की।

मुख्यमंत्री के साथ वार्ता

पिछले वर्ष के किसान लॉच मार्च का अनुभव कर चुके घबराये मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल को काफी पहले ही मिलने के लिए आमंत्रित कर लिया। मुख्यमंत्री, अन्य संबंधित मंत्रियों व अधिकारियों तथा ए.आई.के.एस. के बीच 11 व 17 फरवरी को दो बैठकें हुई। बातचीत बेनतीजा रही और किसान सभा ने लॉंग मार्च पर आगे बढ़ने की घोषणा की। 20 फरवरी की शाम को किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला के नेतृत्व में मार्च शुरु हुआ। (अशोक धवले के लेख से; 20 फरवरी,2019)

समझौता होने पर वापिस लिया गया लॉंग मार्च

हजारों किसानों का अपनी 15 सूत्री माँगों को लेकर 21 फरवरी को शुरु हुए नासिक से मँबई 200 किलोमीटर लम्बे दूसरे किसान लॉंग मार्च को राज्य सरकार के साथ 6 घंटे लंबी वार्ता तथा किसान सभा की माँगों पर समझदारी बनने और लिखित आश्वासन के बाद 21 फरवरी की रात वापिस लेने की घोषणा की गई।

नासिक के शुरु होकर 14 किलोमीटर आगे बढ़ने पर 21 फरवरी को विश्राम के लिए अम्बेवाड़ा में मार्च रुका। वहाँ मुख्यमंत्री ने राज्य जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन तथा टूरिज्म राज्य मंत्री जयकुमार रावल को ए.आई.के.एस. नेताओं के साथ वार्ता के लिए भेजा। किसान सभा का प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय अध्यक्ष अशोक धवले,राज्य महासचिव अजित नवले तथा सी पी आइ (एम) विधायक जे पी गावित ने किया। अरब सागर में बहजाने वाले पानी को मोड़कर महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई के लिए पहुँचाने की किसान सभा की माँग पर सरकार ने आश्वासन दिया कि उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड़ा में '(महाराष्ट्र एकात्मिक जल अरखडा राज्य सरकार की समान सिंचाई योजना) के तहत परियोजना तैयार होंगी।

वन भूमि पर स्वामित्व अधिकार प्रदान किये जाने के बारे में सरकार ने,दशकों से वनभूमि पर खेती करते आ रहे किसानों को कम से कम एक एकड़ भूमि दिये जाने की किसान सभा की माँग को पूरी तरह से मान लिया। पहले सरकार ने केवल 4–6 गठ्ठा देने की बात सरकान ने की थी जबकि एक एकड़ में 40 गठ्ठे होते हैं। इससे समूचे महाराष्ट्र में किसानों को राहत मिलेगी।

कर्जमाफी की माँग पर, सरकार ने दोहराया कि छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकारी सम्मान योजना (30 जून,2017 को सरकार द्वारा घोषित कर्जमाफी योजना) को तब तक नहीं रोका जायेगा जब तक प्रत्येक किसान को लाभ प्राप्त न हो जाये। सरकार ने यह भी कहा कि 2016–17 में कर्ज लेने वाले किसानों को भी शामिल किया जायेगा।

नकदी हस्तांतरण योजना के बारे में, संजयगांधी निराधार योजना, इंदिरागांधी वृद्धापकाल योजना (65 वर्ष के अधिक के नागरिकों के लिए योजना) व अन्य में राशि को बढ़ाया जायेगा। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि वह पात्रता आय को भी 21,000 से 50,000 करने पर विचार करेगी। किसनों द्वारा जोती–बोयी जा रही मंदिरों की जमीन के स्वामित्व के मुद्दे पर सरकार ने बताया कि जल्दी ही ऐसी जमीन पर स्वामित्व के दावों के बारे में राजस्व मंत्रालय की अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की जायेगी तथा इस पर विधान सभा के मानसून सत्र में विधेयक पेश करने का आश्वासन दिया।

बुलेट ट्रेन व समृद्धि महामार्ग (मँबई नागपुर 6 लेन का सुपर एक्सप्रेस वे) जैसी परियोजनाओं के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण के बारे में सरकार ने आश्वस्त किया कि भूमि का जबरन अधिग्रहण नहीं किया जायेगा। (गणशक्ति से; 22 फरवरी,2019)

अंतर्राष्ट्रीय

दक्षिण कोरिया

राष्ट्रव्यापी हड़ताल और विरोध

श्रम सुधारों के खिलाफ; न्यूनतम् वेतन वृद्धि के लिए

आर्थिक संकट के बोझ को स्थानांतरित करने के लिए, मजदूर समर्थक नीतियों को वापस लेने के खिलाफ, अनुमानतः 1.6 लाख मजदूर 21 नवंबर, 2018 को आधे दिन की देशव्यापी हड़ताल पर रहे। के.सी.टी.यू. के आह्वान पर, उनमें से 40,000, जिसमें कार उद्योग के कुछ लोग भी शामिल रहे, ने रैलीयां की आयोजित की, उनमें से 10,000 ने राजधानी सियोल में संसद के सामने, और 13 अन्य शहरों में रैलियां की।

वे अधिकतम 52 घंटे प्रति सप्ताह की कार्य की सीमा को अधिक लचीलापन बनाने के सरकार के कदम के खिलाफ विरोध कर रहे थे और राष्ट्रपति मून द्वारा 7,530 वॉन (6.66 अमरीकी डालर) न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 10,000 वॉन (8.85 अमरीकी डालर) करने के चुनावी वादे को लागू करने की मांग कर रहे हैं। भले ही सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 16% की वृद्धि की, लेकिन, के. सी.टी.यू. के कथन के अनुसार, मजदूरी की गणना में शामिल किए गए क्षेत्र के कारण संशोधन, मजदूरों के लिए निरर्थक है।

इस महीने की शुरुआत में, राष्ट्रपति मून ने अपने शीर्ष दो आर्थिक अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया क्योंकि दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था धीमे विकास, बढ़ती बेरोजगारी और लगातार आय के अंतर से जूझ रही है, यह अल जजीरा का कथन है।

दक्षिण कोरियाई मजदूरों के शानदार संघर्ष का आरब्यान

विवेक मोंटेरो

के एम डब्ल्यू यू की सांगयोंग मोटर्स डिवीजन के आमन्त्रण पर मैंने 17–24 दिसम्बर, 2018 के बीच कोरिया की यात्रा की और संघर्षरत दक्षिण कोरियाइ मजदूरों,ट्रेड यूनियन नेताओं से मिला तथा मजदूरों की सभाओं को संबोधित किया।

मैं के सी टी यू से संबद्ध के एम डब्ल्यू (कोरियन मेटल वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष से और दक्षिण कोरिया के प्रमुख ट्रेड यूनियन केन्द्र के सी टी यू कोरिया कंफेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस) के अध्यक्ष से भी मिला। नेपाल के नीलकंठ श्रेष्ठ मेरे साथ थे जिन्होंने एक दुभाषिये के तौर पर मेरी मद्द की जिससे मैं कोरियन साथियों के साथ खुलकर बातचीत कर सका।

सॉग योंग के मजदूर और के सी टी यू, सीटू व महाराष्ट्र ट्रेड यूनियन ज्वायंट एक्शन कमेटी (टी यू जे ए सी) से मिले समर्थन के लिए सीटू को बहुत प्रतिष्ठा देते हैं। मेरी यात्रा के दौरान मुझे फाइनटेक के मजदूरों के चल रहे धरनों व संघर्षों में ले जाया गया जो पुनः बहाली की माँग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर थे। मुझे मोरान पार्क स्थित शहीद स्मारक ले जाने का भी प्रबंध किया गया जहाँ मजदूर वर्ग व जनवादी संघर्ष के शहीद जुन थे व अन्य शहीदों की यादगार है।

यात्रा के दौरान मैंने प्योंगताइक क्षेत्र की, जहाँ साँग योंग मोटर्स कंपनी स्थापित है, ज्वायंट ट्रेड यूनियन कौंसिल की बैठकों को भी संबोधित किया और बर्खास्त किये गये मजदूरों की सभा को भी संबोधित किया। प्योंगताइक के वराक सेंटर में महिलाओं के समर्थन समूह की बैठक भी रखी गयी। महिलाओं व मजदूरों के परिवारों ने संघर्ष को चट्टानी समर्थन दिया है।

23 दिसम्बर को मैं हान सांग ग्यून (एच एस जी) से मिला जिन्होंने 2009 में एस एम जी मजदूरों के संघर्ष का नेतृत्व किया था। कई तरह से उनका जीवन व संघर्ष दक्षिण कोरिया में जुझारु ट्रेड यूनियन आंदोलन की भूमिका व राजनीतिक विकास की झलक देता है। एच एस जी ने एक छात्र के रुप में 1980 के क्वांगजू उभार में भाग लिया था जिसे फौजी तानाशाही ने बर्बरतापूर्ण तरीके से कुचल दिया था जिसमें 40 स्कूली छात्रों समेत 200–600 लोग मारे गये थे। वह 2008 में के एम डब्ल्यू यू, सांग योंग मोटर डिवीजन के अध्यक्ष बने थे और 2009 में संघर्ष का नेतृत्व किया। उन्हें 2010 में 3 वर्ष के लिए जेल में डाला गया। 2012 में रिहा होने पर उन्होंने संघर्ष जारी रखा और एक ऊँचे बिजली तोरण पर चढ़कर 171 दिन का धरना दिया। उन्हें दिसम्बर 2014 में के सी टी यू का अध्यक्ष चुना गया। 2015 में भ्रष्ट पार्क ग्यून हे सरकार के खिलाफ हुई जन रैलियों में वह जनता के जनवादी संघर्ष के नेता बन गये। जो 2018 में पार्क ग्यून हे को दोषी ठहराये जाने के साथ समाप्त हुआ। इस आंदोलन के दौरान उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया और 2016 में 5 वर्ष कारावास की सजा दी गयी। उन्हें मई 2018 में रिहा किया गया।

टमेरिकी समर्थन वाली फौजी तानाशाही को दशकों तक देखने वाले दक्षिण कोरिया के राजनीतिक घटनाचक्र में, जनतंत्र के लिए संघर्ष में ट्रेड यूनियन आंदोलन अगली कतार में रहा है। वाम व जनवादी ट्रेड यूनियन आंदोलन के भीतर, के सी टी यू नेतृत्वकारी भूमिका में रहा है।

संग–योंग के बर्खास्त मजदूर, हान सांग ग्यून,किम ड्यूक जुंग व किम जुंग वुक के नेतृत्व में कोरिया के जनवादी आंदोलन का अगुआ दस्ता हैं।

एस एम सी मजदूरों का संघर्ष

2009 में, पूर्व मालिक, चाइनीज शंघाई मोटर कंपनी द्वारा 2400 मजदूरों को सीधे बर्खास्त किये जाने के खिलाफ एस एम सी मजदूरों का बहादुराना संघर्ष हुआ था। एस एम सी मजदूरों ने हड़ताल करते हुए फैक्टरी को कब्जे में ले लिया था। वे बर्बर दमन का सामना करते हुए 77 दिन तक लड़ते हुए कब्जा बनाये रहे थे। प्रबंधन व कोरियाई पुलिस ने भोजन व पानी की आपूर्ति काट दी और टेसर बन्दूकों व आँसूगैस का इस्तेमाल किया। मजदूरों ने बहादूरी से सामना करते हुए पुलिस व कंपनी के बांऊसरों के हमलों का डटकर मुकाबला किया। महिलायें व परिवारों के सदस्यों ने समर्थन में फैक्टरी के बाहर जमा होकर पानी व खाने का प्रबंध किया। सिविल सोसायटी संगठनों व बिरादराना ट्रेड यूनियनों ने समर्थन में प्रदर्शन किये। पुलिस दमन के विरोध व सांग योंग मजदूरों के समर्थन में के सी टी यू द्वारा 22–24 जुलाई तक तीन दिवसीय राष्ट्रीय आम हड़ताल का आह्वान किया गयां सॉग योंग मजदूरों का संघर्ष राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। अंततः 2009 के अगस्त की शुरुआत में कोरियाई पुलिस व विशेष बलों ने हेलीकाप्टर से हमला करते हुए मजदूरों पर रासायनिक पानी की बौछार की और मजदूरों को बाहर कर दिया। लगभग 600 मजदूर घायल हुए,जिनमे कुछ को गंभीर चोटें आई। के एम डब्ल्यू के एक नेता की पत्नी ने आत्महत्या कर ली।

टांदोलन को दबाने के बाद,एक थोपे गये समझौते में, 48 प्रतिशत मजदूरों को बहाल कर दिया गया और 52 प्रतिशत को अलग कर दिया गया। तथापि, 180 बर्खास्त मजदूरों की बहाली के लिए संघर्ष जारी रहा। 10 वर्षों के संघर्ष के दौरान, 16 मजदूरों ने आत्महत्या कर ली और 14 अन्य की दबाव व अवसाद के चलते मृत्यु हो गयी।

2011 में भारत के महिन्द्रा समूह द्वारा कंपनी को टेक ओवर कर लिए जाने के बाद भी,संघर्ष जारी रहा जिसमें ऊँचाई पर चढ़कर किये गये दो विरोध प्रदर्शन भी शामिल रहे जिनमें दिसम्बर,2014 में जमा देने वाली ठंड में सेक्रेटरी जनरल किम जुंग वुक व एक अन्य मजदूर 101 दिन तक 70 मीटर ऊँची धुआ चिमनी पर कब्जा किये रहे।

ज्नवरी 2015 में महिन्द्रा समूह के आनंद महिन्द्रा ने कोरिया की यात्रा की और कुछ निश्चित शर्तों पर मजदूरों की बहाली का आश्वासन दिया। सितम्बर 2015 में साँग योंग के मजदूरों का पहला प्रतिनिधिमंडल महिन्द्रा समूह के उच्च प्रबंधन से मिलने और बर्खास्त मजदूरों की समयबद्ध बहाली किये जाने की माँग को लेकर मुंबई आया।

सीटू की मुंबई कमेटी ने कामगार संगठना संयुक्त कृति समिति और बी के एम व इंटक नेतृत्व वाली स्वतंत्र यूनियनों समेत महिन्द्रा समूह की मुंबई, पुणे व नासिक स्थित कंपनियों की विभिन्न यूनियनों को संघर्षरत मजदूरों के समर्थन में लामबंद किया। संयुक्त कृति समिति की पहल के माध्यम से (बी के एस के सूर्यकांत महादिक के प्रयासों समेत), साँग योंग कंपनी के चेयनमैन पवन गोयनका के साथ 28 सितम्बर,2015 को एक बैठक तय करायी गयी। गोयनका ने मजदूरों को आश्वासन दिया कि वह कोरिया आकर उनके मसले पर कोरियाइ प्रबंधन को साथ लेकर चर्चा करेंगे।

सीटू और एटक ने 3 अक्टूबर,2015 को हुई एक बैठक में साँग योंग मजदूरों के प्रतिनिधिमंडल का अभिनंदन किया।

दिसम्बर, 2015 में कोरिया में हुए त्रिपक्षीय विचार–विमर्श में, साँग योंग प्रबंधन अंततः 179 मजदूरों को अगले दो वर्षों के लिए काम पर लेने पर तथा 2008 की कटौती के प्रभावित मजदूरों को भविष्य में रिक्तियों को भरे जाते समय तरजीह देने पर सहमत हो गया। कंपनी ने यूनियन के खिलाफ दायर मुकदमें को भी छोड़ दिया तथा हटाये गये मजदूरों व उनके परिवारों की मद्द के लिए 1.5 मिलीयन डॉलर का एक कोष बना दिया। उसके बाद अप्रैल 2017 में 19 मजदूरों को बहाल किया गया।

लेकिन बहाली प्रक्रिया की धीमी गति व उसमें देरी के चलते के एम डब्ल्यू के अध्यक्ष किम ड्युक जुंग के नेतृत्व में साँग योंग के मजदूरों का दूसरा मिशन दिसम्बर, 2017 में मुंबई आया। साँग योंग मजदूरों के प्रतिनिधिमंडल का 6 जनवरी, 2018 को नासिक में हुए मजदूरों के महाराष्ट्र कन्वेंशन में स्वागत किया गया। इस कन्वेंशन में मुंबई,पुणे,नासिक स्थित महिन्द्रा समूह की फैक्टरियों की सभी यूनियनों के नेताओं ने कोरिया के साथियों से मुलाकात की। टी यू जे ए सी के नेताओं ने एक संयुक्त पत्र में महिन्द्रा प्रबंधन से मुद्दे का जल्द समाधान करने की अपील की। दूसरा मिशन 23 जनवरी, 2018 को वापिस गया।

28 फरवरी से 1 अप्रैल 2018 तक के.एस.डब्ल्यू.यू. सोंग मोंग मोटर डिविजन के नेता किम ड्येक जुंग अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल पर चले गये जो 30 दिन तक चली। 2 अप्रैल, 2018 को बर्खास्त मजदूरों में से 8 और को बहाल किया गया।

जून 2018 को एक और मजदूर ने आत्महत्या कर ली। जुलाई 2018 से सियोल में एक अनिश्चितकालीन धरना शुरु किया गया। इस माह के दौरान कोरियाई राष्ट्रपति मून जाये–इन ने भारत की यात्रा की। सीटू महासचिव तपन सेन ने भारतीय मजदूरों और यात्रा पर आये राष्ट्रपति मून के बीच एक बैठक कराने का निवेदन करते हुए कोरियाई राजदूत को पत्र लिखा।

वापस लौटने के बाद राष्ट्रपति मून ने हस्तक्षेप किया और प्रबंधन, मजदूरों (दो यूनियनों) तथा सरकार के बीच हुए एक चतुर्पक्षीय विचार विमर्श का परिणाम 20 सितम्बर, 2018 के ऐतिहासिक समझौते के रुप में सामने आया जिसमें यह सहमति बनी कि सभी बचे हुए हटाये/बर्खास्त मजदूरों को दो चरणों – 60% को 2018 तक और शेष 40% को जून 2019 तक काम पर ले लिया जायेगा। तदनुसार, 31 दिसम्बर, 2018 को 71 हटाये/बर्खास्त मजदूरों को बहाल कर दिया गया। इतने लम्बे चले संघर्ष की पृष्ठभूमि में यह एक उल्लेखनीय एवं ऐतिहासिक उपलब्धि है।

रफाल सौदे के लिए अम्बानी की जय बोलो– भाजपा
धोखेबाजी के लिए अम्बानी को जेल में डालो– सुप्रीम कोर्ट

20 फरवरी,2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रफाल सौदे की मशहूरी वाले अनिल अम्बानी की तीन कंपनियों रिलायंस कम्युनिकेशंस लि. रिलायंस टेलीकॉम लि. तथा रिलायंस इन्फ्राटेल लि. को कोर्ट की अवमानना व धोखीधड़ी का दोषी ठहराया।

न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन व न्यायमूति विनीत शरण की खंडपीठ ने न्यायालय को आर कॉम के चेयनमैन अनिल धीरु भाई अम्बानी द्वारा शपथपत्र में दिये बयान पर गंभीर रुख अपनाया। कोर्ट ने यह भी पाया कि तीन रिलायंस कंपनियों ने 550 करोड़ रुपये जमा ब्याज को जानबूझकर अदा नहीं किया और इसके लिए आर कॉम के अंबानी को 550 करोड़ रुपये व उस दिन तक के ब्याज सहित जमा करने का आदेश दिया।

''आर कॉम समूह को आज से चार सप्ताह के अंदर एरिकसन को 453 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा न होने की सूरत में,चेयरमैन, को जिसने न्यायालय को शपथपत्र दिया था को तीन महीने जेल में रहना होगा'' कोर्ट ने आदेश में कहा । कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को भी, कोर्ट में पहले ही जमा कराये गये 118 करोड़ रुपयों को 1 सप्ताह में एरिकसन को देने का निर्देश दिया।

'' उपरोक्त बताई गई दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त प्रत्येक कंपनी पर हर्जाने की 1 करोड़ रुपये की राशि को भी आज से चार सप्ताह के भीतर इस कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराया जाना चाहिये। इस राशि को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को दिया जायेगा। जुर्माना न दिये जाने पर इन कंपनियों के चेयरमैन को 1 महीने जेल में रहना होगा।

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdkd vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkb

jkT;	dn	uoEcj 2018	fnlEcj 2018
vk/k izn'k	xq.Vj	283	284
	fot;ckMk	286	288
	fo'kk[kkiÝkue	288	289
vle	MeMek frulf[k;k	275	269
	xokgkVh	260	261
	ycd flYpj	268	268
	efj;kuh tkjgkV	254	253
	jxkikjk rtiqj	252	249
fcgkj	e?kj&tekyiqj	334	328
p.Mhx<	p.Mhx<	303	301
NÝkhlx<	fHkykbZ	324	322
fnYyh	fnYyh	284	283
Xkkvk	xkvk	321	319
Xkqtjkr	vgenkckn	280	280
	Hkkouxj	293	293
	jktdkV	289	289
	lqjr	269	266
	oMknjk	272	270
gfj;k.kk	Qjhnkckn	271	271
	;euk uxj	290	288
fgekpy	fgekpy çn'k	266	265
tEew ,oa d'ehj	Jhuxj	272	270
>kj[k.M	ckdkjk	294	292
	fxfjMhg	331	329
	te'kniqj	350	346
	>fj;k	349	345
	dkMek	371	372
	jkph gfV;k	369	364
dukVd	cqyxke	298	299
	cqxyq#	292	293
	gcyh /kkjokM	318	318
	ejdjk	306	306
	eqlqj	306	305
dqjy	,.kkdqye@vyobZ	306	308
	eq.MkD;ke	304	305
	fDoyku	347	349
e/; çn'k	Hkkiky	314	313
	fNUnokM	293	292
	bUnkj	274	272
	tcyiqj	309	307

jkT;	dn	uoEcj 2018	fnlEcj 2018
महाराष्ट्र	मुम्बई	298	297
	ukxiqj	361	362
	ukfld	338	336
	iq.k	319	320
	'kksykiqj	313	315
mMhlk	vkSxqy&rkypj	319	317
	jkmjdqyk	313	309
ikfMpfj	ikfMpfj	309	310
iatkc	vejlj	317	314
	tkyU/kj	312	312
	yqf/k;kuk	286	287
jktLFkku	vtej	279	278
	HkhyokM	281	281
	t;iqj	287	285
rfeyukMq	pUuS	275	274
	dk;EcVwj	281	280
	dqUuwj	316	315
	enjkbZ	287	287
	lqye	283	289
	fr#fpjkiYyh	293	290
rsyxkuk	xknkojh[kkuh	310	311
	gSnjkckn	255	255
	okjaxy	309	308
f=iqjk	f=iqjk	265	259
mÝkj çn'k	vkxjk	347	344
	xkft;kckn	321	321
	dkuiqj	328	323
	y[kuÅ	320	315
	okjk.klh	316	314
if'pe cxky	vklulkSy	325	325
	nkftZfyax	277	277
	nxkiqj	323	320
	gfYn;k	331	329
	gkoMk	282	280
	tkyikbZxqM	274	279
	dkydkrk	284	283
	jkuhxat	282	279
	flyhxqM	272	273
vf[ky Hkkjrh; lpdkd		**302**	**301**

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- एजेंसी – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- भुगतान – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
  आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;
- संपर्कः ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेलः citubtr@gmail.com
  फोनः (011) 23221306 फैक्सः (011) 23221284

तस्वीरें बोलती हैं

25 दिसम्बर 2015

Hkkjrh; çf/kku e=h ujæ eknh ikfdLrku dh ,d vpkud ;k=k e ykgkj igp vkj fQj ikfdLrku d rRdkyhu çf/kku e=h 'kjhQ dk tUefnu euku d fy, gyhdklVj l ykgkj d ckgjh bykd e mud vkyh'kku fuokl LFkku ij igpA

14 फरवरी 2019

iyokek vkrdh gey d vo'k"k 3-10 ct A

çf/kkue=h ujæ eknh u d,cV u'kuy ikd e fMLdojh puy d fy, fQYe dh 'kfVx tkjh j[kh] uko dh lokjh dk vkun fy;k vkj mld ckn 'kke 7 ct rd ihMCY;Mh xLVgkml e pk; vkj lekl k [kk;kA

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-20 20 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication - 05/03/2019)

महाराष्ट्र में दूसरा किसान लॉंग मार्च

(रिपोर्ट पृ. 21)

केमप्लास्ट मजदूरों का आंदोलन

(रिपोर्ट पृ. 20)

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com)
सम्पादक : **के हेमलता**